अध्याय XV: इस्पात मंत्रालय

एम एस टी सी लिमिटेड

15.1 एमएसटीसी के वित्तीय हितों की रक्षा करनें में विफलता

कंपनी एक चूककर्त्ता पार्टी के लिए सामग्री के वित्तपोषण का करार करते समय अपने वित्तीय हित की रक्षा करने में विफल रही और तत्पश्चात करार को विस्तारित करने के कारण ₹19.92 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

एम एस टी सी लिमिटेड (कंपनी) ने अप्रैल 2010 (17 अप्रैल 2010) में कृष्णा कोक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (के.सी.आई.पी.एल.) के साथ कोकिंग कोयला, हार्ड कोकिंग कोयला तथा कम राख वाले मेटलर्जिकल कोक के आयात/खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए करार किया। यह करार प्रांरभ में अप्रैल 2011 तक वैध था जिसे तत्पश्चात अप्रैल 2012 तथा बाद में अप्रैल 2014 तक के लिए बढ़ा दिया गया था।

करार के अनुसार, सामग्री की खरीद का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाना था। इस करार के अंतर्गत एक संरक्षक भी शामिल था जो सामग्री के निर्वहन/उतराई/ढेर लगाने और वितरण की देखरेख के लिए जिम्मेदार था। संरक्षक को एम.एस.टी.सी. से प्राधिकार प्राप्त करने के बाद के.सी.आई.पी.एल.को सामग्री वितरित करना था तथा सामग्री के आदि शेष,प्राप्तियों,वितरण एवं अन्त शेष संबंधी साप्ताहिक/मासिक रिपोर्टें एम.एस.टी.सी. एवं के.सी.आई.पी.एल.को भेजनी थी। करार के अनुसार, स्टॉक के.सी.आई.पी.एल.के परिसर में अनुरक्षित किया जाना था। प्रावधान के अनुसार एम.एस.टी.सी. एवं सरंक्षक स्टॉक की किसी भी प्रकार की कमी के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। स्टॉक की कमी के ऐसे मामले में पूरा नुकसान के.सी.आई.पी.एल.को वहन करना होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि करार के अनुसार अप्रैल से जून 2012 की अवधि में एम. एम.टी.सी. द्वारा कोकिंग कोयला की तीन खेपों (18,817 एम.टी. मात्रा) का वित्त पोषण किया गया, जिसे के.सी.आई.पी.एल. के परिसर में सरंक्षक[1] की निगरानी में रखा गया था। इसमें से के.सी.आई.पी.एल. द्वारा 2012-13 में केवल 1,000 एम.टी. उठाया गया था। के.सी.आई.पी.एल.के परिसर में गिरवी रखे गए स्टाक का एक मात्रात्मक आकलन एक तीसरे

[1] *करार के अनुसार सितंबर 2011 से जून 2013 तक मेसर्स ट्रांसेफ सर्विसेज लिमिटेड तथा जूलाई 2013 से मेसर्स फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड संरक्षक था।*

पक्ष की निरीक्षण एजेंसी द्वारा किया गया था (फरवरी 2014)। निरीक्षण मे 76 प्रतिशत सामाग्री (13,604.15 एम.टी.) की कमी का पता चला। के.सी.आई.पी.एल. ने आकलन को स्वीकार नहीं किया और कहा (मार्च 2014) की आकलन के दौरान, उपरोक्त स्टाक में 4,400 एम.टी. कोकिंग कोयला जो पारादीप पत्तन न्यास (पी.पी.टी.) में रखा गया है, उसको शामिल नहीं किया गया था। तथापि, पी.पी.टी. ने इस बात की पुष्टि की (अप्रैल 2014) की के.सी.आई.पी.एल. ने उपरोक्त वर्णित कोकिंग कोयला को पहले ही जून 2011 से फरवरी 2012 तक की अवधि में उठा लिया था।

के.सी.आई.पी.एल. ने सामग्री की कमी के लिए भुगतान नहीं किया।एम. एस.टी.सी. ने मई 2014 में के.सी.आई.पी.एल. के समापन के लिए कटक उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। तत्पश्चात,के.सी.आई.पी.एल ने सामग्री की कमी की जिम्मेवारी से इन्कार करते हुए कहा (मार्च 2015) की सामग्री एम.एस.टी.सी. के अनुबद्ध मालगोदाम में रखी हुई थी तथा संरक्षक ने एम. एस. टी.सी. से प्राधिकार के बिना किसी भी सामग्री का वितरण नहीं किया होगा। लेखापरीक्षा ने पाया गया कि एम.एस.टी.सी ने पहले ही स्टॉक मे कमी को संदिग्ध वसूली के रुप में अपनी लेखा पुस्तको में प्रावधान किया तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए ₹19.92 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इसी दौरान, यूको बैंक, जो के.सी.आई.पी.एल. का एक सुरक्षित ऋणदाता है, ने अप्रैल 2016 फैक्ट्री परिसर पर अपना कब्जा कर लिया। एम.एस.टी.सी ने यूको बैंक से उनके प्रतिनिधियों को फैक्ट्री परिसर पर गिरवी रखे हुए स्टॉक की रक्षा हेतु अनुमति देने के लिए आग्रह (जून 2016) किया जिसे बैंक ने नकार दिया।

इस संदर्भ में, लेखा परीक्षा मे निम्नलिखित पायाः

(i) के.सी.आई.पी.एल. के साथ अप्रैल 2010 में करार किया गया तथा बाद में अप्रैल 2012 में इसका विस्तार किया गया, जिससे कंपनी के आंतरिक दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हुआ। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति, 2008 के अनुसार, जिस पक्ष में कंपनी का वित्तीय जोखिम शामिल है उस पक्ष का मूल्यह्रास और कर पूर्व आय करार करने से पहले, कुल बिक्री का कम से कम 5 प्रतिशत होना चाहिए। यह देखा गया है कि, के.सी.आई.पी.एल. ने उपरोक्त शर्तो को 2008-09 से 2011-12 अवधि के दौरान पूरा नहीं किया, जबकि कंपनी ने अप्रैल 2010 में करार किया और अप्रैल 2012 में उसका विस्तारण किया। यह भी देखा गया कि के.सी.आई.पी.एल. की

बाहरी ऋणपात्रता रेटिंग[1] के अनुसार चूक की अधिक संभावना का संकेत था। इसके अलावा के.सी.आई.पी.एल. सामाग्री को उठाने के मामले मे धीमी थी तथा आरंभ से ही भुगतान करने में चूक कर रही थी।

(ii) कंपनी ने इससे पहले मई 2008 में के.सी.आई.पी.एल.के साथ एक करार किया था। इस करार पर विचार करते हुए, कंपनी के वित्त विभाग ने के.सी.आई.पी.एल की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए अपनी आंशाकाओं को अभिव्यक्त किया था। उस करार के अंतर्गत (फरवरी 2008) कंपनी के हित की सुरक्षा के लिए सामाग्री को के.सी.आई.पी.एल. के परिसर पर न रखकर पत्तन पर रखा गया था। के.सी.आई.पी.एल. के साथ अप्रैल 2010 में किए गए करार (जिसे अप्रैल 2014 तक विस्तारित किया गया था।) तथापि, सामाग्री को के.सी.आई.पी.एल. के परिसर पर रखने का प्रावधान था जोकि कंपनी के हित के लिए हानिकारक साबित हुआ। यह भी देखा गया कि, कंपनी के वित्त विभाग ने अप्रैल 2012 मे, के.सी.आई.पी.एल. के विगत असंतोषजनक प्रदर्शन रहने के कारण उसके साथ व्यवसाय नहीं करने का सुझाव दिया था। हालांकि, प्रबंधक ने उपरोक्त सभी तथ्यों की उपेक्षा करते हुए के.सी.आई.पी.एल. के साथ करार का विस्तार किया जिसके कारण अन्ततः ₹ 19.92 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

(iii) उत्तरोत्तर संरक्षको ने नियमित रुप से न तो गिरवी रखी गई स्टॉक पंजिका का रख-रखाव किया और ना ही उनकी साप्ताहिक/मासिक रिपोर्ट भेजी जो अंततः सामग्री के कमी का कारण बना। संरक्षक के साथ किए गए करार में शर्तों का पालन न करने के लिए किसी भी शास्ति खंड का प्रावधान नहीं था और इसलिए संरक्षक के विरूद्ध लापारवाही के लिए किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकी।

प्रबंधन ने जवाब में कहा (सितंबर 2016) किः

(i) यद्दपि के.सी.आई.पी.एल के उठाने कि प्रक्रिया धीमी थी, इसके बावजूद उसने मार्च 2012 के अंदर, इस तारीख से पहले की खरीदी हुई सामग्री को करार के नवीकरण करने से पहले संपूर्ण सामग्री को उठा लिया था (अप्रैल 2012)।

(ii) मेसर्स ट्रांसेफ को संरक्षक संबंधी कर्तव्यों के निष्पादन में लापरवाही के कारण उनकी सेवाओं को निरस्त कर दिया गया तथा मेसर्स फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड(एफ.एस.एन.एल.) को लगाया गया। बाद में,एफ.एस.एन.एल. द्वारा स्टॉक रजिस्टर का अद्यतन किया गया। इसके अलावा, त्रिपक्षीय करार के अनुसार, ना तो

---

[1] ***क्राइसिल के ऋणपात्रता रेटिंग के अनुसार के.सी.आई.पी.एल. का ऋणपात्रता रेटिंग 'बी थी। ऋणपात्रता रेटिंग 'बी के अनुसार वित्तीय दायित्वों का समय पर शोधन के मामले मे चूक की अधिक संभावना थी।***

एम.एस.टी.सी और ना ही एफ.एस.एन.एल. (संरक्षक) को सामाग्री की कमी के लिए उतरदायी ठहराया जा सकता था जिसका संपूर्ण रुप से ग्राहक द्वारा वहन किया जाना था।

(iii) के.सी.आई.पी.एल से बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी कदम उठाए गए हैं। मंत्रालय ने प्रबन्धन के विचार से सहमति जताते समय कहा (दिसम्बर 2016) कि करार का नवीकरण पूराने देयों की वसूली की विवशता के कारण किया गया क्योंकि ₹ 9.43 करोड की राशि का अदत्त स्टाक मार्गस्थ था।

मंत्रालय का उत्तर निम्न के दृष्टिगत तर्कसंगत नहीं हैः-

- मई 2008 में, किये गए एक पूर्व हस्ताक्षरित समझौते के अंतर्गत, के.सी.आई.पी.एल द्वारा सामग्री को उठाने कि प्रक्रिया से कंपनी को समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उस करार के प्रति के.सी.आई.पी.एल को कंपनी द्वारा वित्तपोषित सामग्री को उठाने मे तीन वर्ष से अधिक का समय लगा था। अतः के.सी.आई.पी.एल के साथ बाद में अप्रैल 2010 मे किया गया करार तथा अप्रैल 2012 मे उसका विस्तारण, के.सी.आई.पी.एल की प्रतिकूल वित्तीय अवस्था तथा ऋणपात्रता रेटिंग के संदर्भ में अविवेक पूर्ण था। इसके अलावा, यदि एमएसटीसी केसीआईसीएल के साथ अपना व्यवसाय समाप्त करना चाहता था, अदत्त स्टाक के वित्तपोषण के लिए कोई अनिवार्यता नहीं थी।
- करार में स्टॉक की कमी की स्थिति में संरक्षक की जिम्मेदारी तय करने का प्रावधान नहीं होने की वजह से, कंपनी को सामग्री में कमी होने के कारण नुकसान को पूरी तरह से वहन करना था।
- हलांकि, कंपनी ने कानूनी कदम उठाया है, यह देखा गया कि, सुरक्षित ऋणदाता, यूको बैंक ने के.सी.आई.पी.एल के फैक्ट्री परिसर को पहले ही अपने अधिकार में ले लिया। के.सी.आई.पी.एल के संयंत्र एंव संपत्ति का अनुमानित मूल्य ₹17 करोड़ था, जबकि 30 जून 2015 तक यूको बैंक के ब्याज लागत तथा उसपर आकास्मिक शुल्क सहित ₹14.49 करोड़ बकाया था। इस संदर्भ में, कंपनी, जो की एक असुरक्षित ऋणदाता है, की बकाया राशी की वसूली होना दूरवर्ती प्रतीत होती है।

इस प्रकार, कंपनी एक चूककर्त्ता पार्टी के साथ करार करते समय तथा बाद में उस करार का विस्तार करते समय अपने वित्तीय हितो की रक्षा करने में विफल रही जिसके कारण ₹19.92 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

एन एम डी सी लिमिटेड

15.2 रॉयल्टी के विलम्बित भुगतान के कारण ब्याज पर परिहार्य व्यय

एनएमडीसी लिमिटेड वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक खानों से निकाले गए लौह अयस्क के रॉयल्टी की सही गणना करने में असफल रही इस कारण एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा कर्नाटक सरकार को मार्च 2016 में ₹34.34 करोड़ का भुगतान करना पड़ा।

एन एम डी सी लिमिटेड (एनएमडीसी) लौह अयस्क की खुदाई और बिक्री करता है एवं उसकी अपनी एक खान कर्नाटक के बेल्लारी ज़िले के दोनिमलाई में स्थित है जिसकी वार्षिक खनन क्षमता मिलियन है। वर्ष 2011-12 तक लौह अयस्क की बिक्री कंपनी द्वारा तिमाही पर आधारित निर्धारित दरों से होती थी। उसके बाद भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त निगरानी समिति द्वारा विक्री होती रही। निगरानी समिति ई-नीलामी करती थी और इससे प्राप्त मुनाफा संबंधित विभागों के वैधानिक देयों के भुगतान के बाद एन एम डी सी को वितरित होता था।

कंपनी को खान और खनिज (विकास और नियमन) अधिनियम 1957 के अनुसार खान से निकाले गए लौह अयस्क पर रॉयल्टी का भुगतान करना अपेक्षित था। खनिज रियायत नियम, 1960 ने कंपनी के मालिक को यह जिम्मेदारी दी है कि वह एक महिने में उत्पादित/प्रेषित खनिज की मात्रा पर देय रॉयल्टी की गणना भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा उस महिने में घोषित लौह अयस्क की औसत बिक्री कीमत पर करें। इन नियम में आगे यह भी प्रावधान है कि राज्य सरकार को देय कोई राशि जिसमें रॉयल्टी भी शामिल है, पर सरकार द्वारा रॉयल्टी के भुगतान की निर्धारित तिथि गुजर जाने पर उसके 60 वे दिन से 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देना होगा। कर्नाटक (अवैध खनन, खनिजों की ढुलाई व भंड़ारण की रोकथाम) नियम 2011 के अनुसार हर खान मालिक को खान और भूविज्ञान विभाग, कर्नाटक सरकार से एक वैध खनिज प्रेषण अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करना होता है और खनन क्षेत्र से खनिजों को प्रेषित करने से पूर्व रॉयल्टी का भुगतान करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एन एम डी सी ने प्रेषण होने वाली अनुमानित मात्रा को आधार बनाकर खान और भूविज्ञान विभाग को रॉयल्टी का भुगतान किया। चूंकि उसकी गणना बाद की तिथि में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा उस महिने में घोषित कीमत के अनुसार असल में प्रेषित मात्रा पर होनी चाहिए थी, एन एम डी सी से यह अपेक्षित था कि उसने खान और भूविज्ञान विभाग को जिस रॉयल्टी का भुगतान किया था और जो किया जाना चाहिए था उसकी निगरानी करे और उसमें यदि कोई अन्तर पाया जाता है तो उसका भुगतान करे।

तथापि, कंपनी ने हर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर रॉयल्टी के अन्तर की अगर ऐसी कोई राशि है तो उसकी मांग पर खान और भूविज्ञान विभाग पर भरोसा किया। तथापि खान और भूविज्ञान विभाग ने वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक तुरन्त ऐसी कोई माँग नहीं की। मगर उपरोक्त समय के लिए जनवरी 2013 में खान और भूविज्ञान विभाग ,होस्पेट ने ₹ 34.85 करोड़ की माँग की अन्तरीय रॉयल्टी के भुगतान की जिसमें स्पष्ट कहा गया कि इस मांग की निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग ,बंगलोर द्वारा बाद में छान-बीन और समीक्षा की जाएगी। एन एम डी सी ने 19 जनवरी 2013 को इस राशि का भुगतान किया। एन एम डी सी द्वारा किए गए अनुरोध पर खान और भूविज्ञान विभाग, होस्पेट ने (मार्च 2013) मौजूदा माँगों और उनके किए गए भुगतान के आधार पर 'शून्य देयता प्रमाण-पत्र' जारी किया। फरवरी 2016 में खान और भूविज्ञान विभाग ने ₹40.52 करोड़ की एक और माँग 2009-10 से 2011-12 तक की अवधि के लिए भुगतान हुई रॉयल्टी में पाए गए अन्तर के रूप में की, इस राशि में वर्ष 2014-15 तक का 24 प्रतिशत की वार्षिक दर का ब्याज का बकाया भी शामिल था जो कुल मिलाकर ₹ 34.34 करोड़ है। (मार्च 2016) निगरानी समिति ने उपरोक्त राशि को एन एम डी सी को देय राशि में से काट कर खान और भूविज्ञान विभाग को भेज दिया।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2016) कि एन एम डी सी, खान और भूविज्ञान विभाग द्वारा रॉयल्टी में पाए गए अन्तर की राशि के माँग के नोटिस के अनुसार चुकाता आया है। उसने वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक के लिए माँग नोटीस जारी किया था (जनवरी 2013)। जिसका भुगतान जनवरी 2013 में किया गया था तथा खान और भूविज्ञान विभाग ने शून्य देयता प्रमाण-पत्र जारी किया था (मार्च 2014)। इस तरह के प्रमाण-पत्र के जारी होने के बाद खान और भूविज्ञान विभाग द्वारा ब्याज सहित रॉयल्टी राशि के अन्तर के लिए कोई नई माँग करना सही नहीं था।

मंत्रालय ने प्रबंधन के दृष्टिकोण को दोहराया (दिसम्बर 2016)।

उपरोक्त उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खान मालिक पर रॉयल्टी की गणना करने और उसे भरने का दायित्व था। अत: खान और भूविज्ञान विभाग द्वारा दिए गए अन्तरीय रॉयल्टी के किसी भुगतान की मांग पर विश्वास करना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त खान एवं भूविज्ञान विभाग ने, 2007 से 2012 की अवधि से संबंधित पूर्व मांग नोटिस में स्पष्ट कहा था कि यह मांग खान एवं भूविज्ञान विभाग मुख्यालय बैंगलौर की समीक्षा एवं अनुमोदन के अधीन है। कंपनी द्वारा एक खान के पट्टे के नवीकरण के उद्देश्य से पिछली मांगों और किए गए भुगतानों के आधार पर 'शून्य देयता प्रमाण-पत्र' खान और भूविज्ञान विभाग के शाखा कार्यालय ने जारी किया था। इसके अतिरिक्त, फरवरी 2016 में खान और भूविज्ञान

विभाग द्वारा जारी माँग नोटिस में यह स्पष्ट किया गया था कि रॉयल्टी के अन्तरीय राशि के जमा करने के लिए एक मालिक के रूप में एनएमडीसी जिम्मेदार है और खान ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की गई मासिक व वार्षिक रिपोर्ट पर ही माँग की गई राशि की गणना की गई है। अत: कंपनी ब्याज सहित नए माँग नोटिस के मुद्दे को गलत करार नहीं दे सकती हैं।

इस प्रकार से एन एम डी सी को वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक सही तरीके से रॉयल्टी का गणना न करने और उसका समय पर भुगतान करने में विफलता के परिमाण स्वरूप मार्च 2016 में ₹ 34.34 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा ।

स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड

15.3 बी.एस.एल भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल द्वारा आयातित कोयले के प्रभावी प्रबंधन में असफलता के कारण ₹ 11.25 करोड़ की हानि हुई

बोकारो इस्पात संयत्र द्वारा आयातित कोकिंग कोयले के प्रभावी प्रबंधन में विफलता के कारण ₹ 11.25 करोड की परिहार्य हानि हुई।

स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सेल अथवा कम्पनी) अपने एकीकृत इस्पात संयत्रों हेतु कुल आवश्यक कोकिंग कोल का 85 प्रतिशत आयात करता है। आयातित कोकिंग कोल को पत्तनों से प्राप्त कर रेलवे वैगन द्वारा कंपनी के इस्पात संयत्र तक पहुँचाया जाता है जहाँ माल को उतारा, भण्डारण और उपयोग किया जाता है।

बोकरो इस्पात संयत्र (बीएसएल) ने रेलवे वैगनों से कोकिंग कोल को उतारने के लिए दो रोटरी टिप्पलर्स निर्धारित किए है। इन टिप्पलर्स को टिप्पल बक्से जैसी वैगन में रखने हेतु निर्मित किया गया था और अप्रैल- जून 2011 मे उन्नयन किया गया था। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2008-09 से अपने रेकों में हाई एक्सल वैगन का उपयोग आरंभ कर दिया था उपयुक्त टिप्पलरों की अनुपस्थिति में 2008-11 के दौरान बीएसएल में हाई एक्सेल वैगन में आयातित कोकिंग कोल को खुली यार्ड में खाली कराया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बी.एस.एल. प्रबंधन ने ₹ 14.21 करोड की लागत का 13204 टन कोकिंग कोल इस खुली जगह में 5-6 वर्षों तक के लिए अरक्षित छोड दिया, जब उसे स्थान से संबंधित कमी का सामना करना पड़ा तो उसने सामग्री को दूसरे स्थान में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। (जनवरी 2016)। आगे यह पाया गया कि उक्त कोयले

मे से ₹ 2.61 करोड (₹11407.82[1] X 2288 टन) की लागत का 2288 टन कोयला गायब/मौजूद नहीं था एवं शेष 10,916 टन कोयले का कोकिंग गुण द्रव्यता खत्म हो चुकी थी तथा यह कोकिंग कोयले के रुप में प्रयुक्त होने लायक नही रही। अत: यह निर्णय लिया गया (जुलाई 2016) कि 10,916 टन कोयले को बोकारो पावर सप्लाई कम्पनी प्रा. लि. (बी.पी.एस.सी.एल)[2] को विद्युत उत्पादन हेतु स्थानांतरित कर दिया जाए (जहॉ निम्न कोटि के कोयले जिसमे कोकिंग गुण नही है का इस्तेमाल किया जा सकता है) बी.पी.एस.सी.एल.को स्थांनातरित किए गए कोयले की कीमत ₹3,489 प्रति टन थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.64 करोड[3] की हानि हुई।

बी.एस.एल. प्रबंधन ने उत्तर दिया (30 नवम्बर 2016) कि सीलों में जगह की कमी एवं कोकिंग कोयले के कम इस्तेमाल के कारण, खुले क्षेत्र में रखे कोयले को भण्डारण/उपयोग हेतु स्थानांतरित नहीं किया जा सका। इसके अलावा 2,288 टन कोयला गायब नहीं हुआ था बल्कि शायद बगल के यार्ड में रखे कोल डस्ट इंजेक्शन (सी.डी.आई.) के साथ मिश्रित हो गया था।

निम्नलिखित के दृष्टिगत प्रबंधन का जवाब तर्कसंगत नहीं है :-

(i) बी.एस.एल. द्वारा प्रति वर्ष 25 लाख टन आयातित कोयला खपत के साथ है कोयले का आयात एवं खपत एक सतत प्रक्रिया है। अनुवर्ती रेकों में प्राप्त कोयले से पहले खुले क्षेत्र में रखे कोयले का उपयोग किया जा सकता था जिससे इस तरह इसमें हुए कोकिंग गुणों की हानि एवं मूल्य ह्रास को रोका जा सकता था।

(ii) यह तर्क कि 2,288 टन कोयला सी.डी.आई.कोयले के साथ मिश्रित हो गया था अस्वाभाविक प्रतीत होता है क्योंकि सी.डी.आई. कोयला आयातित कोकिंग कोयले से 200 मीटर की दूरी पर था और एक शेड के द्वारा अलग किया हुआ था। इसके अलावा, सी.डी.आई. कोयले के प्रत्यक्ष सत्यापन से गायब हुए आयातित कोकिंग कोयले के कारण से अतिरिक्त स्टॉक होने का संकेत नहीं पाया गया।

---

[1] ***2008-09 से 2010-11 के वर्षों के लिए आयातित कोयले की औसत लागत से भारित***

[2] ***स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि (सेल) और दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) की एक संयुक्त उद्यम कम्पनी जो विद्युत और स्टीम का सृजन करती है और सेल के बोकारो स्टील संयंत्र (बीएसएल) को विद्युत और स्टीम (विभिन्न प्रेशरों पर) की आपूर्ति करती है।***

[3] ***(₹ 11407.82- ₹ 3489) x 10,916 टन***

इस प्रकार, बी.एस.एल. द्वारा आयातित कोकिंग कोयले के प्रभावी प्रबंधन में असफलता के कारण कम्पनी को ₹11.25 करोड की परिहार्य हानि हुई।

मामला अक्तुबर 2016 में मंत्रालय को भेजा गया था उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।

15.4 जुर्माना / व्यर्थ भाडे का परिहार्य व्यय

प्रबंधन द्वारा किरिबुरू लौह अयस्क खान (केआईओएम), और मेधहातुबुरू लौह अयस्क खान (एमआईओएम) में तुला चौकी की संस्थापना (वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 तक की अवधि के दौरान) करने मे असफलता के कारण रेलवे को ₹101.97 करोड रुपये का जुर्माना / व्यर्थ के भाडे का भुगतान करने पर परिहार्य व्यय करना पडा।

झारखंड स्थित किरिबुरु लौह अयस्क खान एवं (केआईओएम) मेघहातुबुरु लौह अयस्क खान (एमआईओएम) से निकलने वाले लौह अयस्क की खानों मे पिसाई एवं स्क्रीन की जाती है। इसके बाद, लौह अयस्क के ढेले एवं बुरादे के ढेर को रेलवे रेकों / वैगनों के द्वारा इस्पात संयत्रों को भेजा जाता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि खानों मे वैगनों को सेल द्वारा अनुमान के आधार पर लोड किया गया। तत्पश्चात, रेलवे द्वारा विमलगढ (रेलवे तुला चौकी) मे लदी हुई वैगनों को तौला गया एवं ऐसे तौल से यह निर्धारित किया गया कि क्या सेल इन वैगनों को खानों मे अधिक या कम भार कर के भेजा गया था। यदि खानों मे वैगन ओवरलोड था तो रेलवे ने सेल को शास्ति लगाई और यदि वैगन तुलन मे कम था तो सेल को निरर्थक भाडे के रुप मे वित्तीय हानि उठानी पडी।

सेल ने एमआईओएम एवं केआईओएम खानों मे स्थित अपनी साइडिंगों पर तुला चौकी की संस्थापना करने का निर्णय लिया (जुलाई/अगस्त 2007 मे) ताकि प्रत्येक में लोड की गई वैगनों की मात्रा का भार किया जा सके ताकि रेलवे का जुर्माने / व्यर्थ भाडा के परिहार्य भुगतान से बचा जा सके। दिसम्बर 2009 में सेल ने एमआईओएम पर ₹0.52 करोड़ की लागत से एक इलेक्ट्रोनिक इन मोशन वे ब्रिज (ईआईएमडब्ल्यूबी) की संस्थापना की। तथापि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि इस (ईआईएमडब्ल्यूबी) का उपयोग से इसकी संस्थापना से नही किया जा सका क्योंकि यह रेलवे के विनिर्देशनों पर आधारित नही था। सितम्बर 2010 में सेल ने केआईओएम पर ₹0.15 करोड रुपये की लागत से एक स्टेट इलैक्ट्रानिक रेलवे ब्रिज (एसईआरडब्ल्यूबी) संस्थापित करने का कार्य पूरा किया। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि एसईआरडब्ल्यूबी का भी उपयोग नही किया जा सका क्योंकि रेलवे ने अपने दिनांक 11 नवम्बर 2009 के परिपत्र के माध्यम से 1 अप्रैल 2011 से इसे अमान्य

घोषित कर दिया था। अत: सेल द्वारा एमआईओएम एवं केआईओएम मे संस्थापित दोनो तुला चौकी अकार्यात्मक रही एवं सेल ने अनुमान के आधार पर इन खानों मे वैगनों/रेकों के तौल को लादना जारी रखा।

वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 में, सेल को अपने अतिरिक्त भार वाले वैगनों के लिए रेलवे को ₹ 18.57 करोड रुपये के जुर्माने का भुगतान करना पडा। इसी अवधि के दौरान, सेल को इन वैगनों के कम भार के कारण भी निष्क्रिय भाडे के लिए ₹ 83.40 करोड का भुगतान करना पडा। अत: 2011-12 से 2015-16 तक की अवधि के दौरान सेल को जुर्माना/ निष्क्रिय भाडे पर ₹101.97 करोड रुपये का व्यय करना पडा जिसे इन दो खानों में वैगनों के लदान से पहले उचित तौल द्वारा बचाया जा सकता था।

प्रबंधन ने (दिसम्बर 2016) अपनी सहमती दी कि चूँकि तौल लोडिंग प्वाइंट पर भी किया जा सकता है इसलिए तुला चौकी की संस्थापना अतिरिक्त/कम लोडिंग को सुधारात्मक कार्रवाई के माध्यम से कम करने में मदद करता है। प्रबंधन का कहना है कि एमआईओएम में तुला चौकी उपलब्ध स्थान, इलाके एवं पहुंच के आधार पर रैक को सुचारु रुप से तोलने हेतु संस्थापित की गई थी। तुला चौकी के आरंभ होने के समय रेलवे ने यह बताया कि नजदीकि टर्निंग प्वाइंट से ईआईएमडब्ल्यूबी की दूरी प्रचालन हेतु अपर्याप्त थी। प्रबंधन ने यह भी कहा कि एसईआरडब्ल्यूबी रेलवे द्वारा अमान्य किये जाने से पूर्व पूर्ण एवं परिकल्पित था।

प्रबंधन ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अधिक/कम लोड को लोडिंग प्वाइंट पर तुला चौकी संस्थापित कर कम किया जा सकता था जिससे रेलवे को भुगतान किए गए जुर्माने/व्यर्थ भाडे को भी कम किया जा सकता था, जबकि सेल ने वैगन लोडिंग को प्राक्कलन के आधार पर ही जारी रखा। इसके अलावा एमआईओएम में संस्थापित ईआईएमडब्ल्यूबी (दिसम्बर 2009) रेलवे द्वारा वर्ष 2005 में ही जारी किए गए विनिर्देशन (नजदीक टर्निंग प्वाइंट से आवश्यक दूरी से संबंधित) की अनुपालना करने में असफल रही। जबकि सेल ने नेतुला चौकी को संस्थापित करने का निर्णय रेलवे द्वारा जारी विनिर्देशन के बाद किया था अत: उक्त विनिर्देशनों को इस दौरान ध्यान में रख कर जाना चाहिए था। प्रबंधन का दावा जिसमे एसईआरडब्ल्यूबी को रेलवे द्वारा अमान्य बताया गया है भी मान्य नही है क्योंकि रेलवे द्वारा जारी अमान्यता संबंधी परिपत्र नवम्बर 2009 में जारी किया गया था जबकि एसईआरडब्ल्यूबी को सितम्बर 2010 में पूरा किया गया। यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रबंधन ने विगत 6 वर्षो में खानों में वैगनों की ओवर/अंडर लोडिंग के कारण हुई क्षति को नियंत्रित करने हेतु कोई वैकल्पिक कदम नही उठाया (चूँकि एसईआरडब्ल्यूबी सितम्बर 2010 में पूरा हो गया था)।

अत: प्रबंधन एमआईओएम तथा केआईओएम में तुला चौकी संस्थापित करने में असफल रहा जिससे लगातार जुर्माने/व्यर्थ भाडे पर परिहार्य व्यय हुआ। वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 के दौरान यह परिहार्य व्यय ₹ 101.97 करोड था। इसके अतिरिक्त तुला चौकी का उपयोग नही किये जा सकने के कारण ₹ 0.67 करोड (ईआईएमडब्ल्यूबी एवं एसईआरडब्ल्यूबी पर क्रमश: ₹ 0.52 करोड एवं ₹ 0.15 करोड) का व्यय निष्फल रहा।

मामले को अक्टूबर 2016 में मंत्रालय को बताया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।

15.5 बी.एस.एल./सेल में सी.आर.एम. कॉम्प्लेक्स की परियोजना प्रबंधन की कमी

परियोजना प्रबंधन में कमी के कारण सीआरएम परियोजना पूर्ण होने मे 6 वर्ष का विलम्ब हुआ जिसे मुख्य तकनीकी पैकेज पर ₹ 1655 करोड़ खर्च करने के बाद भी पूरी तरह संस्थापित (दिसंबर 2016) नही किया जा सका। इस विलम्ब के अलावा अप्रैल 2012 से अगस्त 2016 तक निर्माण के दौरान रु 580 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज का नुकसान हुआ।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (कम्पनी) ने बोकारो इस्पात संयंत्र मे नए कोल्ड रॉलिंग मिल (सीआरएम) कॉम्पलेक्स की संस्थापना को अनुमोदित (जनवरी 2008) किया जिससे 1.2 मिलियन टन बेचने योग्य इस्पात का उत्पादन किया जाना था। इस परियोजना में 28 सीआरएम ठेके की कुल तर्कसंगत लागत ₹ 2524.04 करोड़ थी एवं परिकल्पित कुल वार्षिक लाभ ₹ 650 करोड़ था। नए सीआरएम कॉम्प्लेक्स अनेक पैकेजो से निर्मित था जिसमे मुख्य इकाई एचआरसीसी[1] अपस्ट्रीम एवं सीपीएलटीसीआरएम[2] तथा अन्य प्रौद्योगिकी/सम्बद्ध (टीएपी) डाउनस्ट्रीम पैकेज शामिल है। सीपीएलटीसीआरएम फरवरी 2008 में ऑर्डर किया गया एवं इसे दिसंबर 2010 तक संस्थापित किया जाना था। अन्य सभी अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम इकाईयों को इस समय सीमा के अंदर प्रदत्त एवं संस्थापित किया जाना था। सीआरएम कॉम्प्लेक्स को पूर्ण संस्थापित करने मे 6 वर्ष (दिसंबर 2016) का विलम्ब हुआ। सी आर एम कॉम्प्लेक्स के मुख्य टीएपी की प्रक्रिया प्रवाह नीचे वर्णित है:

[1] हॉट रोल क्वाइल कॉनवेयर (एचआरसीसी)

[2] कपल्ड पिकिंग लाइन एवं टेंडम कोल्ड रोलिंग मिल (सीपीएलटीसीआरएम)

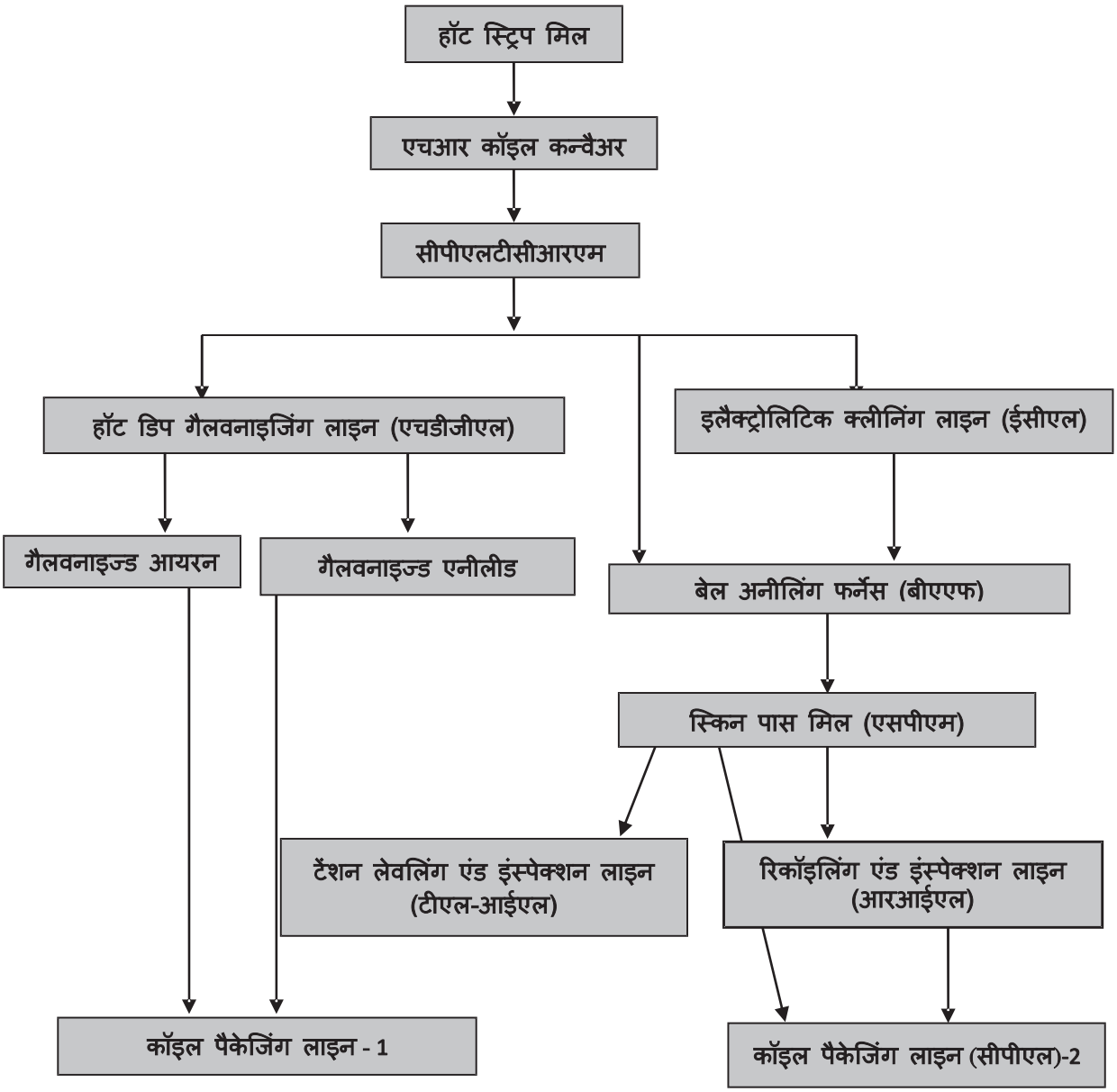

लेखापरीक्षा ने सिविल कार्य के ठेके, मुख्य टी.ए.पी. जिसमें एचआरसी सी, सीपीएलटीसीआरएम, एचडीजीएल-इसीएल, बीएएफ, एसपीएम, आरआईएल-टीएल-आईएल, सीपीएल, शामिल था तथा एसिड उत्थान संयत्र की जाँच की जिसमे पाये गए तथ्य निम्नलिखित हैं:

1. चूँकि एचआरसीसी, सीपीएलटीसी आरएम और टीएपी, सीआरएम कॉम्पलेक्स का हिस्सा थे इसलिए इन्हे इस तरह से सिंक्रोनाइज एवं अवार्ड किया जाना था कि ये सभी परियोजनाएं दिसंबर 2010 तक संस्थापित की जा सकें। सिविल कार्य ठेके को प्रदत्त एवं पूर्ण किए जाने को भी टीएपी के प्रदत्त एवं पूर्ण किए जाने के साथ सिंक्रोनाइज किया जाना था क्योंकि सिविल कार्य मुख्यत: टीएपी ठेकेदारो द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्माण ड्राइंग पर निर्भर था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि कम्पनी ने (अप्रैल 2008) सीआरएम कॉम्प्लेक्स के लिए एक एकल सिविल वर्क का कार्य प्रदत्त किया गया जिसे अप्रैल 2010 तक पूरा किया जाना था। जबकि सीपीएलटीसीआरएम, एचडीजीएल - ईसीएल, बीएएफ़, एसपीएम, सीपीएल, एवं एआरपी सहित कई पैकेज फरवरी से जून 2008 में आर्डर किये गये थे। दो मुख्य तकनीकि पैकेज एचआरसीसी (अपस्ट्रीम पैकेज), अर्थात आरआईएल-टीएल-आई एल एवं चार अन्य संबद्ध पैकेज अर्थात रोल शॉप, ट्रांसफर कार, जल आपूर्ति प्रणाली एवं प्रवाह उपचार एवं निपटान प्रणाली का आर्डर वर्ष 2010 मे किया गया। इस समय तक सिविल कार्य पूरा किया जाना निर्धारित था परन्तु सिविल कार्य 5 वर्षो के विलम्ब के पश्चात जुलाई 2015 मे पूरा किया जा सका। बीएसएल ने ये माना कि यह विलम्ब उनके कारण हुआ न की सिविल कार्य ठेकेदार के कारण। वास्तव में, देर से ऑर्डर किए गए पैकेजों के ड्राइंग, विलम्ब से जारी किए जाने से कारण सिविल कार्य ठेके को 30 महीने (1 अप्रैल 2011 से 30 सितंबर 2013) के लिए बढ़ा दिया गया था। इस प्रकार कुछ टीएपी के विलम्ब से ऑर्डर किए जाने के कारण सिविल कार्य को पूरा होने मे देरी हुई एवं परिणामस्वरुप इससे जुड़े अन्य टीएपी के समय से पूरे होने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा एवं इस प्रकार पूरी परियोजना मे विलम्ब हुआ।

2. टीएपी एवं सिविल कार्य के लिए दिए गए ठेके को प्रदान करने मे हुए नॉन-सिंक्रोनाइजेशन का मतलब था कि कुछ पैकेज तैयार हो कर संस्थापित होने के इंतजार में थे पर संबद्ध अपस्ट्रीम अथवा डाउनस्ट्रीम इकाईया तैयार नहीं थे:

क) बेल अनिलिंग भट्टी (बी ए एफ.) एवं स्किन पास मिल (एस पी एम.) को ₹ 218 करोड़ के खर्च पर पूरा किया गया एवं दोनो पैकेजो के लिए प्राथमिक स्वीकृति प्रमाण पत्र क्रमश: जुलाई 2014 एवं जनवरी 2013 में जारी किया गया था। हालांकि ये इकाईया पूर्ण रुप से संस्थापित नही की जा सकी चूंकि संबद्ध इकाईयां (रिक्वाइलिंग एवं निरीक्षण लाइन और टेंशन लेवेलिंग एवं निरीक्षण लाइन) तैयार नही थीं। बीएएफ एवं एसपीएम को भी दिसंबर 2016 तक संस्थापित किया जाना बाकी था।

ख) मुख्य सीआरएम इकाई सी पी एल टी सी आर एम को ₹ 763 करोड़ के व्यय के बाद जुलाई 2015 मे संस्थापित किया गया लेकिन संबद्ध इकाइयों के पूरा न होने के कारण वर्ष 2015-16 में 20 प्रतिशत से कम क्षमता मे इसका संचालन किया गया। इसके सीमित आउटपुट का उपयोग सीधे बीएएफ एवं एसपीएम में किया गया जिन्हें अभी पूरी तरह संस्थापित किया जाना बाकी है।

ग) एसिड रिजेनेरेशन संयत्र (ए आरपी) को सितम्बर 2010 मे पूरा कर किया गया था एवं प्राथमिक स्वीकृति प्रमण पत्र जनवरी 2011 मे जारी किया गया था। एआरपी के लिए ₹ 53 करोड़ की राशि का मार्च 2012 तक भुगतान किया गया। परन्तु इसके संचालन हेतु आवश्यक इनपुट (वेस्ट पिकल लिकर एवं रिंस वाटर) जो सी पी एल टी सी आर एम द्वारा उपलब्ध कराया जाता है कि अनुपस्थिति के कारण इसे संस्थापित नही किया जा सका। अंततः एआरपी को सी पी एल टी सी आर एम के साथ जुलाई 2015 में संस्थापित किया गया। हालाकि सीपीएलटीसीआरएम को न्यून क्षमता पर (20 प्रतिशत क्षमता) संचालित किया जा रहा था, एआरपी की क्षमता का भी आवश्यकता से कम उपयोग किया गया।

घ) लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि सेल ने फरवरी 2014 से मार्च 2015 की अवधि के लिए ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस ठेके (ओ एंड एम) के अंतर्गत एआर पी ठेकेदार को ₹ 10.59 करोड़ का भुगतान (20 मार्च 2014) अर्थात प्राथमिक स्वीकृति के बाद एवं चालू करने से पूर्व किया। एआरपी ठेके की विशेष शर्त के खंड 8 के अनुसार ओ एंड एम अवधि सुविधाओं के चालू होने की तारीख से आरंभ होगी। यह ओ एंड एम का भुगतान संयत्र के संस्थापित होने से तीन साल की लम्बी अवधि के विलम्ब के कारण करना पडा। चूँकि अपस्ट्रीम सीपीएलटीसीआरएम इकाई एवं अन्य संबद्ध इकाईयाँ समय पर उपलब्ध नहीं थी, ओ एंड एम पर किया गया स्थापित पूर्व व्यय परिहार्य था।

3. कार्यान्वयन अनुसूची के अनुसार, उपस्कर पूर्ति सिविल कार्य के बाद शुरु किया जाना था। परन्तु सिविल कार्य पूरे होने मे विलम्ब के कारण, बीएसएल ने 96,77,99 एवं 100 प्रतिशत सी पी एल टी सी आर एम, एच डी जी एल - इ सी एल, बी ए ऍफ़ एवं एस पी एम् पैकेज की उपस्कर की पूर्ति प्राप्त की जिसके लिए बीएसएल. ने क्रमशः ₹ 532 करोड़, ₹ 313 करोड़, ₹ 114 करोड़ एवं ₹ 81 करोड़ मार्च 2012 तक भुगतान किया लेकिन सिविल कार्य पूरा नही होने के कारण उसे संस्थापित नहीं किया जा सका।

बीएसएल प्रबंधन ने जबाव दिया (नवम्बर/दिसंबर 2016) कि:

क) निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) को समय पर जारी किया गया परंतु ठेकेदार के चयन प्रक्रिया मे थोड़ा विलम्ब होने के कारण टीएपी प्रदान करने में देरी हुई।

ख) यद्यपि मुख्य उपकरण संस्थापित कर दिये गये थे, उन्हें शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि कार्य स्थल उपलब्ध कराने में तथा ऑडर देने में विलम्ब के कारण कुछ यूटिलिटि पैकेज उपलब्ध नही हो सके थे। अत: सिविल कार्यों के लिए नक्शा उपलब्ध नही होने के कारण संबंधित सिविल कार्य पूरा नही हो सका।

ग) एआरपी के लिए प्राथमिक स्वीकृति प्रमाणपत्र 31 जनवरी 2011 को जारी किया गया था लेकिन फरवरी 2014 तक इसे चालू नहीं किया जा सका। इस तरह एआरपी के चालू होने के पूर्व की प्रक्रिया के आरंभ होने से पहले यह आवश्यक हो गया कि उपकरणों, ड्राइव, नियंत्रण तंत्र एवं पाइप लाइन की तैयारी का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। अत: फरवरी 2014 मे प्रारंभिक कार्य के निष्पादन हेतु ओ एंड एम ठेके द्वारा प्रशिक्षित जनशक्ति की नियुक्ति आवश्यक हो गई थी।

निम्नलिखित को ध्यान मे रखते हुए प्रबंधन का जवाब तर्कसंगत नही पाया गया:

क) सिविल ठेके के दिए जाने के बाद कुछ टीएपी के लिए एन आई टी जारी किया गया था। एच आर सी सी एवं टी एल आई एल के लिए एन आई टी सितम्बर 2008 में, जल आपूर्ति प्रणाली मार्च 2009 मे, इफ्लूएंट ट्रीट्मेंट संयंत्र जुलाई 2009 मे जारी किया गया। पैकेजो को प्रदत्त करने में हुई देरी के कारण सिविल कार्य को पूरा होने मे विलम्ब हुआ।

ख) चूँकि सिविल कार्य मुख्य रुप से टीएपी ठेकेदारो द्वारा उपलब्ध किए जाने वाले निर्माण के नक्शे पर निर्भर होता है इसलिए संबंधित टीएपी एवं सिविल ठेके को सिंक्रोनाइज्ड रुप में प्रदत्त किया जाना चाहिए था।

इसके अलावा प्रबंधन ने यह स्वीकार किया है कि एआरपी के चालू करने मे एवं परिणामस्वरुप चालू होने से पूर्व हुए विलम्ब से यह आवश्यक हो गया कि उपकरण की तैयारी एवं ओ एंड एम ठेके के अंतर्गत हुए परिणामस्वरुप व्यय का पूनर्मूल्यांकन किया जाए।

अतः प्रबंधन प्रणाली में कमी के कारण सीआरएम परियोजना के पूरे होने मे 6 वर्ष की देरी हुई जिसे अभी तक पूरी तरह चालू नही किया जा सका (दिसंबर 2016)। सेल द्वारा मुख्य टीएपी पर ₹ 1655 करोड़ पहले ही खर्च किया जा चुका है। परियोजना के निर्माण के दौरान

देरी के कारण ब्याज में ₹ 580 करोड़ की वृद्धि हुई जो पूर्ण हुई परियोजना से परिकल्पित कुल वार्षिक लाभ ₹ 650 करोड़ के हिसाब से अधिक है। एआरपी चालू करने में हुई देरी से एआरपी पैकेज के लिए ओ एंड एम ठेके के अंतर्गत ठेकेदार को फरवरी 2014 से 26 मार्च 2016 के दौरान किए गए भुगतान के कारण ₹ 10.59 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

उपरोक्त मामले को नवंम्बर 2016 को इस्पात मंत्रालय को भेजा गया है जिसका जवाब प्रतिक्षित है (जनवरी 2017)।

15.6 आर.एस.पी./सेल द्वारा ठेकेदार को ₹ 22.83 करोड की बिजली की अनाधिकृत आपूर्ति

गैस आपूर्ति समझौते मे कमियों के कारण राउरकेला इस्पात संयत्र के प्रबंधन की ओर से हुई चूक से ₹ 22.83 करोड का परिहार्य व्यय हुआ।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) ने जनवरी 2009 में मैसर्स लिंडे इंडिया लिमिटेड (एलआईएल)[1] के साथ निर्माण, स्वामित्व और संचालन (बीओओ) आधार पर ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने हेतु गैस आपूर्ति करार (जीएसए) किया। जीएसए की शर्तों के अनुसार आरएसपी द्वारा एलआईएल को अपने विद्युत उप-स्टेशन द्वारा ऑक्सीजन संयत्र में एयर सेपरेशन यूनिट (एएसयू) के चालू किये जाने तक मुफ्त विद्युत आपूर्ति करनी थी और उसके बाद यह प्रभार्य था।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि आरएसपी द्वारा एलआईएल के साथ विद्युत आपूर्ति से संबंधित जीएसए की शर्ते इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन (ओईआरसी) विनिमयों का उल्लंघन था। आरएसपी द्वारा वेस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी ऑफ ओडिसा लिमिटेड (डब्लूईएससीओ) के साथ एक समझौता था जिसमे कि विद्युत को बेचने अथवा स्थानांतरित करने का प्रावधान नहीं था। अन्य बातों के साथ-साथ ओईआरसी वितरण (आपूर्ति की शर्ते) कोड 2004 के विनिमय 105 एवं 106 मे यह प्रावधान है कि किसी उपभोक्ता द्वारा किसी व्यक्ति अथवा परिक्षेत्र को विद्युत बेची अथवा स्थानांतरित नही की जाएगी, जब तक की उक्त करार ऐसा करने की अनुमति न दे एवं उपभोक्ता द्वारा करार में वर्णित शर्तों के अलावा किसी अन्य उद्देश्यों हेतु विद्युत का उपयोग नहीं किया जाएगा। अत: आरएसपी विद्युत उप-स्टेशन द्वारा बीओओ समझौते के तहत एलआईएल को विद्युत आपूर्ति किया जाना ओईआरसी विनिमयों का उल्लंघन है।

अप्रैल 2014 में, डब्ल्यूईएससीओ द्वारा आरएसपी को विद्युत आपूर्ति के शीघ्र वियोजन हेतु एक नोटिस जारी किया गया जिसमे इस बात को इंगित किया गया कि एलआईएल को

[1] *जिसे पहले 17 फरवरी 2013 तक मैसर्स बी.ओ.सी. इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था*

आपूर्ति की गई विद्युत ओईआरसी विनिमय के तहत अनाधिकृत थी एवं विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत दण्डनीय भी था तत्पश्चात डब्लूईएससीओ, एलआइएल एवं आरएसपी ने एक समझौता किया (6 अगस्त 2014)। एलआईएल को अनाधिकृत विद्युत आपूर्ति प्रथम एएसयू के स्थापित होने के दिन तक कुल 55 मिलियन यूनिट (जनवरी 2014) की ₹ 10.45 करोड की राशि का भुगतान आरएसपी द्वारा डब्ल्यूईएससीओ को किया जाना था जो आरएसपी पर लागू ₹ 5/- की दर पर ईएचटी टैरिफ पर ₹ 6.90/- की उच्चतम टैरिफ दर का अंतर है। यदि आरएसपी द्वारा ओईआरसी विनियमों का उल्लंघन नहीं किया जाता तो दण्ड की राशि का भुगतान (21 अगस्त 2014) परिहार्य होता।

डब्ल्यूईएससीओ आरएसपी एवं एलआईएल के बीच दिनांक 21 अगस्त 2014 तक एलआईएल को 6 जनवरी 2014 से संभावित उपभोक्ता बनाने हेतु एवं 1 अगस्त 2014 से सीधे बिल करने हेतु त्रिपक्षीय समझौता किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि आरएसपी एवं एलआईएल ने अनुबंधित समय सीमा के अंदर औपचारिकताओ को पूरा नही किया। त्रिपक्षीय समझौता 20 जुलाई 2015 को हस्ताक्षरित किया गया और समझौते के अंतर्गत, आरएसपी को ₹ 12.38 करोड के नियमित इलेक्ट्रिसिटि बिल के साथ जनवरी 2014 से जून 2015 की अवधि हेतु पहले भुगतान किए गए मूल्य मे अधिक डिमांड चार्ज के रुप मे भुगतान करना पडा।

आरएसपी प्रबंधन ने यह बताया (जनवरी 2016) की यह चूक अनजाने मे हुई है। सेल प्रबंधन ने जवाब दिया है (अक्टूबर 2016) कि यदि एलआईएल द्वारा अपने नाम से एक अलग बिजली कनेक्शन लिया गया होता तो कमिशनिंग तक की अवस्था मे बिजली उपभोग हेतु सामान्य उद्देश्य शुल्क (अर्थात ₹ 6.90 प्रति यूनिट) की दर से राशि का भुगतान करना होता। चूँकि आर.एस.पी. इस दौरान एलआईएल को मुफ्त बिजली उपलब्ध करानी थी। ईएचटी दर पर ₹ 10.45 करोड़ की अंतर राशि का आरएसपी द्वारा भुगतान किया गया था। सेल प्रबंधन ने यह भी कहा (अक्टूबर 2016) कि इसके द्वारा ₹ 13.34 करोड की डिमांड चार्ज कंपोनेंट की वसूली की गई है जो डब्ल्यूईएससीओ को भुगतान की गई ₹ 12.38 करोड़ की राशि से अधिक है। मंत्रालय ने प्रबंधन के विचारों का समर्थन किया (फरवरी 2017)।

निम्नलिखित बातों को ध्यान मे रखते हुए प्रबंधन/मंत्रालय का जबाव तर्कसंगत नही है:

क) आरएसपी के पास विद्युत एवं ऊर्जा का अलग विभाग है एवं ओईआरसी विनियमों की जानकारी उक्त विभाग को होनी चाहिए थी।

ख) यदि एल.आई.एल.द्वारा डब्ल्यूईएससीओ से सीधे कनेक्शन लिया गया होता तो इसके द्वारा पावर इंटेंसिव एचटी कैटेगरी की दर जो ₹ 4 एवं ₹ 5.05 प्रति यूनिट है, लोड फैक्टर के आधार पर लागू होती है न की ₹ 6.90 प्रति यूनिट की दर से। वास्तव मे जुलाई 2015 से सीधे डब्ल्यूईएससीओ से पावर कनेक्शन लेने के पश्चात एल.आई.एल. द्वारा एच.टी. दर से भुगतान किया जा रहा है। आर.एस.पी. द्वारा ओईआरसी विनिमय की अवहेलना के कारण डब्ल्यूईएससीओ ने दण्ड के रुप मे अधिक चार्ज किया।

ग) आर.एस.पी. द्वारा कुल ₹ 69.22 करोड का डिमांड चार्ज डब्ल्यूईएससीओ को नियमित बिल में भुगतान किया गया जिसमे एलआईएल. द्वारा जनवरी 2014 से जून 2015 के दौरान हुई बिजली खपत भी शामिल थी जिसके प्रति ₹ 13.34 करोड़ एल.आई.एल. से वसूल किया गया। आरएसपी द्वारा दण्ड स्वरुप भुगतान की गई ₹ 12.38 करोड की राशि (जुलाई- नवम्बर 2015) नियमित बिल की ₹ 69.22 करोड की राशि के अतिरिक्त थी। यदि आरएसपी द्वारा ओईआरसी विनिमयों की अवहेलना नही की गई होती एवं दिनांक 6 अगस्त 2014 को डब्ल्यूईएससीओ के साथ हुए समझौते के निष्पादन मे विलम्ब नही किया गया होता तो इस परिहार्य खर्च को रोका जा सकता था।

इस प्रकार, आरएसपी प्रबंधन की ओर से चूक के कारण जीएसए में कमी के परिणामस्वरूप ₹ 22.83 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

15.7 बोकारो इस्पात संयंत्र/सेल मे जुर्माने की राशि का भुगतान करने के कारण हानि

धमन भट्टी एवं दो आक्सीजन परियोजनाओं के समक्रमिक रूप से व्यवस्था में हुई असफलता के परिणामस्वरूप वास्तविक आवश्यकता से अधिक क्षमता के आक्सीजन संयंत्र की स्थापना की गयी। गारंटेड न्यूनतम ऑक्सीजन को प्राप्त करने में असफलता के कारण ठेकेदार को ₹ 32.96 करोड़ का भुगतान किया गया।

बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल) ने (2004) अपनी हॉट मेटल क्षमता को वर्ष 2004-05 मे 4.585 मिलियन टन (एमटी) से बढ़ा कर वर्ष 2011-12 में 6.5 एमटी करने का अनुमान लगाया था। धमन भट्टी में हॉट मेटल के उत्पादन के लिए ऑक्सीजन एक प्रमुख आवश्यकता है। हॉट मेटल के उत्पादन मे वृध्दि के साथ ऑक्सीजन की आवश्यकता भी बढेगी। बीएसएल ने निम्नलिखित माध्यमों से अपनी मौजूदा ऑक्सीजन क्षमता 1300 टन प्रतिदिन (टीपीडी) से 2825 टी.पी.डी. तक बढ़ाने का निर्णय लिया:

- एयर टर्बो कम्प्रेशर (एटीसी) एवं ऑक्सीजन टर्बो कम्प्रेशर (ओटीसी) को संस्थापित कर 1300 टीपीडी की इन-हाउस ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 1575 टी.पी.डी. किया जाना।

- निर्माण, स्वामित्व एवं संचालन (बीओओ) आधारित एक नए 1250 टीपीडी ऑक्सीजन संयंत्र का निर्माण किया जाना।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि बीएसएल के तीन धमन भठ्ठी को हॉट मेटल उत्पादन क्षमता मे अनुमानित वृद्धि हेतु अद्यतित किया गया हालांकि दिसम्बर 2007 में केवल एक धमन भट्टी के स्तरोन्नयन का कार्य शुरू किया गया। तत्पश्चात माँग मे कमी के कारण अन्य धमन भट्टी का स्तरोन्नयन नही किया गया।

हालांकि धमन भट्टी की मांग के साथ बिना सिंक्रोनाइज किए हुए ऑक्सीजन की क्षमता को बढ़ा दिया गया। इन-हाउस स्तरोन्नयन एवं नए ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना संबंधी दोनो ठेकों को मई 2006 में दिया गया। इन-हाउस ऑक्सीजन संयंत्र में एटीसी एवं ओटीसी की स्थापना को पूर्ण करने का प्रस्तावित समय दिसम्बर 2007 था। जबकि बीओओ परियोजना अप्रैल 2008 तक पूरी की जानी थी। बीओओ परियोजना दिसम्बर 2008 में पूरी की गई थी। इस प्रकार, दिसम्बर 2008 तक बीएसएल की ऑक्सीजन क्षमता 2550 टीपीडी[1] थी जबकि धमन भठ्ठी के स्तरोन्नयन नही होने के कारण माँग कम थी।

बीओओ विधि पर ऑक्सीजन संयंत्र निर्माण करने हेतु समझौते पर बीएसएल द्वारा संयंत्र से ऑक्सीजन की न्यूनतम आफ-टेक गारंटी उपलब्ध कराना था जिसमे असफल होने पर बीएसएल को जुर्माना भरना पड़ा। ऑक्सीजन की अधिक उपलब्धता के कारण बीएसएल बीओओ संयंत्र से न्यूनतम गारंटी ऑक्सीजन प्राप्त करने मे असमर्थ रहा एवं ₹ 32.96 करोड़ का जुर्माना देना पडा (अप्रैल 2008 से सितम्बर 2016 के बीच)।

उसी दौरान, लेखापरीक्षा मे यह पाया गया कि एटीसी एवं ओटीसी के लिए प्राथमिक स्वीकृति प्रमाणपत्र जुलाई 2011 मे जारी किया गया था जबकि एटीसी को चालू किया जाना अभी भी बाकी है। अत: इन-हाउस क्षमता में वांछित वृद्धि की जाना अभी भी बाकी है। इसके लागू होने के साथ-साथ अतिरिक्त ऑक्सीजन की उपलब्धता मे केवल बढ़ोतरी होगी। वास्तव मे बीएसएल द्वारा मौजूदा ऑक्सीजन संयंत्र मे कुछ एयर सेपरेशन यूनिट का संचालन बंद कर दिया गया ताकि बीओओ संयंत्र से प्राप्त ऑक्सीजन का पूरी तरह उपयोग किया जा सके।

---

[1] ***इन हाउस प्लांट क्षमता 1300 टीपीडी + बीओओ प्लांट क्षमता 1250 टीपीडी = 2550 टीपीडी***

इस प्रकार धमन भठ्ठी के स्तरोन्नयन के साथ ऑक्सीजन क्षमता की वृद्धि के सिंक्रोनाइजेशन मे असफलता के कारण ऑक्सीजन क्षमता अधिक हो गई एवं जुर्माने की राशि की अदायगी एवं इन-हाउस सुविधा के प्रचालन ना होने के कारण हानि हुई।

प्रबंधन ने बताया (नवम्वर 2016) कि ऑक्सीजन खपत करने वाली पूर्व से ही संस्थापित परिसंपति परियोजनायों (जैसे बीएफ स्तरोन्नयन) के कार्य उत्पादन को बाधित किए बिना चरणबद्ध तरीके से किया गया जबकि ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली परियोजनाएं (बीओओ एवं एटीसी/ओटीसी) नई सुविधा को संस्थापित करने से संबंधित थी। तीन धमन भठ्ठी के अनुमानित अद्यतन पर अधारित ऑक्सीजन क्षमता मे वृद्धि का निर्देश दिया गया था जिसे बाजार की स्थिति को देखते हुए विलम्बित कर दिया गया एवं जिसके कारण ऑक्सीजन क्षमता व्यर्थ हो गई।

प्रबंधन का जवाब स्वीकार्य नही है क्योंकि ऑक्सीजन परियोजना के आदेश एवं इसके समापन का धमन भठ्ठी स्तरोन्नयन के साथ सिंक्रोनाइज किया जाना चाहिए था। एक धमन भठ्ठी के स्तरोन्नयन विलम्ब से दिसम्बर 2007 मे किया गया जिसे निर्धारित समय अगस्त 2009 मे पूरा किया जाना था। धमन भठ्ठी के स्तरोन्नयन के पूरे होने के बहुत पहले, अप्रैल 2008 तक तीन धमन भठ्ठी के स्तरोन्नयन हेतु आवश्यक ऑक्सीजन क्षमता की संपूर्ण वृद्धि पूरी की जानी थी एवं सिक्रोनाइजेशन की कमी के कारण बीएसएल मे ऑक्सीजन संयंत्र की अधिक्षमता हुई एवं परिणामस्वरुप बीओओ संयंत्र से न्यून्तम गारंटीड ऑक्सीजन निकालने मे असफल होने पर जुर्माने का भुगतान करना पड़ा।

मामले को नवम्बर 2016 में मंत्रालय को बताया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।

15.8 उत्पादन संबंधी योजना मे कमी के कारण बोकारो इस्पात संयंत्र एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र मे परिहार्य स्टॉक रख- रखाव लागत

उत्पादन संबंधी योजना मे कमी के कारण स्लैब के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई जिससे स्लैब स्टॉक का संचय हुआ फलस्वरूप कम्पनी को ₹ 391 करोड़ का परिहार्य स्टॉक रख-रखाव लागत का वहन करना पडा।

सेल (कम्पनी) के बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल) एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के द्वारा अपने रॉलिग मिलों में बेचने योग्य फ्लैट स्टील उत्पाद का उत्पादन किया जाता है। इस प्रक्रिया में इस्पात गलन शाला अपस्ट्रीम मे स्लैब उत्पादन शामिल है जिसका प्रयोग इनपुट के रुप मे डाउनस्ट्रीम रॉलिग मिलों में फ्लैट स्टील के उत्पादन हेतु किया जाता है।

विगत चार वर्षो 2012-13 से 2015-16 के दौरान कंपनी के मालसूची की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि अपस्ट्रीम इकाई द्वारा उत्पादित स्लैब का स्टॉक अधिक था जो निम्नलिखित वर्णित है:

- डाउनस्ट्रीम रॉलिग मिल के सतत प्रचालन के लिए स्लैबों की इष्टतम आवश्यकता स्लैब का 7 से 15 दिन के खपत के बराबर है। लेकिन बीएसएल एवं आरएसपी दोनो ने काफी अधिक मात्रा में स्लैब स्टॉक रखा। बीएसएल मे सामान्य स्लैब स्टॉक लेवल[1] 1.07 से 1.45 लाख टन (2012-16) के प्रति वर्ष 2015-16 मे औसतन मासिक अंत स्टॉक लेवल 8.53 लाख टन था। उसी तरह आरएसपी मे सामान्य स्लैब स्टॉक लेवल 0.86-0.97 लाख टन के अपेक्षा वर्ष 2015 -16 मे औसतन मासिक अंत स्टॉक लेवल 5.30 लाख था। इस प्रकार बीएसएल एवं आरएसपी मे स्टॉक लेवल इष्टतम आवश्यकता से काफी अधिक था।

- स्लैब स्टॉक के संचय से स्टॉक की ढुलाई पर अधिक व्यय हुआ। वेरियेबल स्टॉक पर ढुलाई व्यय ₹ 150 प्रति टन प्रति महीने रही जिसमे स्लैब के स्टोर करने में स्थान एवं लॉजिस्टिक की बाधाओं का ध्यान नही रखा गया। अत: स्लैब स्टॉक के संचय से ₹ 391 करोड़[2] स्लैब स्टॉक के संचय से ₹ 391 करोड़ की परिहार्य रख-रखाव लागत का वहन करना पडा।.

बीएसएल प्रबंधन (30 नवम्बर 2016) एवं आरएसपी प्रबंधन (19 दिसम्बर 2016) ने अपने जवाब में कहा है कि इंटर-रिलेटेड इंटीग्रेटेड स्टील प्रोडूसिंग प्रोसेस में अपस्ट्रीम कोक ओवन बैटरी एवं धमन भठ्ठी में सेमी फिनिश्ड उत्पादों के उत्पादन को डाउनस्ट्रीम प्रचालन क्षमता के साथ मैच कराने के लिए अचानक अंत: क्षेप नही किया जा सकता। यह भी बताया गया कि उत्पादन स्तर को समय पर रेगुलेट किया जा सकता है ताकि उपकरण की दुरूस्ती एवं संचालन की मितव्ययिता को बनाए रखा जा सके। प्रबंधन ने यह भी आस्वस्त किया कि सुधारात्मक कार्रवाई की गई है जिससे स्लैब के स्टॉक मे कमी आयी है।

निम्नलिखित को ध्यान मे रखते हुए प्रबंधन का जवाब स्वीकार्य नही है:

(i) स्लैब के स्टॉक में विगत चार वर्षों 2012-13 से 2015-16 के दौरान वृद्धि हुई है। बीएसएल मे औसतन मासिक स्लैब स्टॉक 2012-13 मे 1.85 लाख टन (जो पहले से

---

[1] ***15 दिनों के खपत स्तर पर परिकलित***

[2] ***स्टॉक ढुलाई लागत, ₹ 150 प्रतिटन प्रतिमाह की दर पर प्रत्येक वर्ष (2012-13 से 2015-16 की अवधि के दौरान) के लिए ढुलाई किये गये अतिरिक्त स्लैब स्टॉक (लगभग 15 दिनों का स्टॉक) के मासिक औसत को ध्यान में रखते हुये निकाली गई है।***

ही इष्टतम आवश्यकता से 30 प्रतिशत अधिक था) से वर्ष 2015-16 मे 8.53 लाख टन हो गया जो आवश्यकता से लगभग आठ गुना अधिक था। आरएसपी मे स्लैब का स्टॉक 2012-13 मे इष्टतम सीमा के अंदर था, परन्तु वर्ष 2015-16 के दौरान 5.30 लाख टन की वृद्धि हुई जो इष्टतम आवश्यकता से 5 गुना ज्यादा थी।

(ii) यह भी देखा गया कि कम्पनी अपने स्लैब के स्टॉक को बेचने में असफल रही एवं वास्तविक ब्रिकी की मात्रा ब्रिकी योजना से लगातार कम रही:

वर्ष	**बिक्री की योजना (लाख टन में)**	**वास्तविक बिक्री (लाख टन में)**
2012-13	3.55	0.51
2013-14	10.85	1.90
2014-15	12.86	3.43
2015-16	7.38	3.28

यह पाया गया कि कम्पनी ने स्लैब को कुल लागत (अगस्त 2015) से कम पर एवं वेरियेबल लागत (नवम्बर 2015) से कम पर बेचने का प्रयास किया लेकिन इससे संचित स्लैब स्टॉक समाप्त नहीं हो सका। 31 मार्च 2016 को बीएसएल एवं आरएसपी में संचित स्लैब स्टॉक 15.4 लाख टन था जिसकी कीमत ₹ 3,639 करोड़ थी। निरंतर बढ़ते स्टॉक के साथ-साथ उसे बेचने की निष्फल प्रक्रिया के लिये स्लैब का उत्पादन विनियमित करने हेतु बीएसएल और आरएसपी प्रबंधन को सक्रिय उचित कदम उठाने चाहिये।

(iii) लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि बीएसएल एवं आरएसपी प्रबंधन ने अप्रैल - अगस्त 2016 में अपस्ट्रीम सुविधायों से उत्पादन को देरी से विनियमित करना शुरु किया। इन प्रयासों के बावजूद दिनांक 30 नवम्बर 2016 को स्लैब स्टॉक 10.33 लाख टन (बीएसएल मे 7.99 लाख टन एवं आरएसपी मे 2.34 लाख टन) था।

अतः उत्पादन संबंधी योजना मे कमी के कारण स्लैब के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई जिससे स्लैब के स्टॉक का संचय हुआ एवं कम्पनी को ₹ 391 करोड़ का परिहार्य स्टॉक रख- रखाव लागत का वहन करना पडा।

मामले को दिसम्बर 2016 में मंत्रालय को बताया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।

15.9 सामग्री प्रबंधन

15.9.1 परिचय

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल अथवा कम्पनी) इस्पात उत्पाद का विनिर्माण करता है जिसके लिए लौह अयस्क एक मुख्य इनपुट समाग्री है जिसकी आवश्यकता पूरी तरह से आंतरिक उत्पादन से होती है। कोकिंग कोल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, पेलेट्स, फेरो एलॉय, लो सिलिका लाइमस्टोन, एवं स्टोर तथा स्पेयर को या तो घरेलू स्तर पर खरीदा जाता है या आयात किया जाता है। संयंत्रों में सामग्री प्रबंधन विभाग (एमएमडी) पर कोयले को छोडकर सभी सामग्री की खरीद जिम्मेदारी होती है।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या सेल के खरीद ठेके (कोयला को छोडकर) को पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और निष्पक्ष तरीके से प्रबंधित एवं निष्पादित किया गया है अथवा नहीं। लेखापरीक्षा के दौरान वर्ष 2012-15 के दौरान पांच इस्पात संयंत्रों[1] से संबंधित ₹ 14220.11 करोड की राशि के 1370 खरीद आदेशों (पीओ) की छानबीन की गई। ₹ 10 करोड से उपर के सभी पीओ, ₹ 1 करोड एवं ₹ 10 करोड के बीच के 10 प्रतिशत पीओ एवं ₹ 1 करोड से कम के एक प्रतिशत पीओ का अध्ययन किया गया। यह पांच संयंत्रों के कुल खरीद मूल्य (कोयले को छोडकर) के 63.19 प्रतिशत एवं तीन वर्षों (2012-15) के कॉपोरेट सामग्री प्रबंधन को दर्शाता है।

15.9.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

15.9.2.1 खुली एवं वैश्विक निविदा का सीमित उपयोग

खुली एवं वैश्विक निविदाओं के फलस्वरुप मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं जो पारदर्शी तरीके से सामने आते है जबकि सीमित/ एकल निविदाए प्रतिस्पर्धा को सीमित करती है। सेल के खरीद/निविदा प्रक्रिया 2009 (पीसीपी) यह भी अनुबंध करता है कि एकल निविदा जांच (एसटीई) को केवल विकल्प के रुप में जारी किया जाना चाहिए। हालांकि लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2012-15 के दौरान सेल द्वारा जारी किए गए खरीद आदेश का 81 प्रतिशत सीमित निविदा जांच (एलटीई) पर आधारित थे जिसका इस अवधि के दौरन की गई खरीद के कुल मूल्य के 24.4 प्रतिशत के लिए लेखांकन किया गया था। उसी अवधि के दौरान 29 प्रतिशत की अन्य खरीद को एकल निविदा के आधार पर किया गया

---

[1] ***बीएसएल - बोकारो इस्पात सयंत्र, बीएसपी- भिलाई इस्पात सयंत्र, डीएसपी - दुर्गापुर इस्पात सयंत्र, आईएसपी - इस्को इस्पात सयंत्र, आरएसपी - राउरकेला इस्पात सयंत्र***

था। खुली एवं वैश्विक निविदा वर्ष 2012-13 में ₹ 3189 करोड के मूल्य के 1067 पीओ से घटकर वर्ष 2014-15 में ₹ 2767 करोड मूल्य के 696 पीओ हो गई।

लेखापरीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि हालांकि ₹ 2 करोड तक के संयंत्रों के एमएमडी की वार्षिक खरीद लगभग ₹ 1851 करोड थी, ऐसे मामलों से निपटने के लिये पर्याप्त नियंत्रण और कोई समान पद्धति नहीं थी। उदाहरण के लिये राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) में ₹ 2 करोड से कम हुए खरीद के निरीक्षण के लिए कोई क्रय समिति नहीं थी जबकि बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल) के पास सभी क्रयों के लिए एक क्रय समिति तंत्र था। प्रबंधन ने बताया (मार्च/नवम्बर 2016) कि निविदाओं के विज्ञापन पर हुए खर्च से बचने के लिए कम मूल्य की खरीद वाले मामलों में सीमित निविदा जारी की गई। आगे यह बताया गया कि एसटीई के आधार पर सामग्री खरीद के लिए तकनीकी आवश्यकता थी एवं पीसीपी के अनुसार विक्रेताओं का चुनाव किया जाता है।

कंपनी के अलग - अलग इस्पात संयंत्र द्वारा पालन की जा रही प्रक्रियाओं में एकरुपता की कमी को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन का जवाब तर्कसंगत नहीं है। सीमित अथवा खुली निविदा के माध्यम से कुछ इस्पात संयंत्रों के द्वारा 47 उत्पादों की खरीद की गई जबकि दूसरे संयंत्रों द्वारा एकल निविदा के माध्यम से उन्हें खरीद गया। एक संयंत्र में 4 उत्पादों का स्वाधिकृत मद के रुप आदेश किया गया लेकिन अन्य संयंत्रों द्वारा इसे सीमित निविदा के द्वारा खरीदा गया। लेखापरीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि कंपनी ने थ्रेशोल्ड लिमिट नियत नहीं की जिसके बाद खुली निविदा आवश्यक होती है। आगे पीसीपी ₹ 2 करोड से कम राशि के खर्च पर निविदा समिति या कोई अन्य समान के, स्वतंत्र नियंत्रण पर निरीक्षण निर्धारित नहीं करता।

(I) एकल निविदा के आधार पर खरीद

(क) महंगे लो सिलिका लाइम स्टोन (एलएसएलएस) की खरीद पर ₹ 484.15 करोड का अतिरिक्त व्यय

कंपनी ने एकल साधन के आधार पर तय की गई कीमत पर एलएसएलएस की आपूर्ति के लिए मैसर्स राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (आरएसएमएमएल) के साथ 10 वर्षों के लिए एमओयू किया। उसी समय कंपनी ने आयात द्वारा एलएसएलएस की खरीद की जिसका मूल्य आरएसएमएमएल के साथ तय किए गए मूल्य से कम था। कम्पनी ने सस्ते आयात के कारण आरएसएमएमएल के साथ खरीद मूल्य पर हुये समझौते की तर्कसंगतता पर विचार नहीं किया ना ही आरएसएमएमएल के साथ दीर्घकालिक करार हस्ताक्षरित करते

समय आयात समानता पर जोर दिया। वर्ष 2012-16 के दौरान कंपनी ने आयातित माल की लागत जो ₹ 2232 एवं ₹ 2403 प्रति टन के बीच थी पर 35.45 लाख टन एलएसएलएस आयात किया जबकि आरएसएमएमएल ने ₹ 3249 से ₹ 3632 प्रति टन की लागत पर 41.14 लाख टन की आपूर्ति की। इस प्रकार कंपनी ने वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान आरएसएमएमएल से की गई खरीद पर ₹ 484.15 करोड की अतिरिक्त व्यय किया।

प्रबंधन ने बताया कि (नवम्बर 2016) दो बडे भौगोलिक रुप से वितरित स्त्रोतों से की गई खरीदारी आपूर्ति की निरंतता को सुनिश्चित करने के लिए थी एवं धीरे धीरे वे एलएसएलएस के आयात को प्रतिवर्ष बढा रहे है। यह भी बताया गया कि एलएसएलएस का आयात करने में पत्नों पर उतारने एवं रैक की उपलब्धता इत्यादि से संबंधित समस्याऐं होती है।

प्रबंधन का जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आरएसएमएमएल से आपूर्ति में कमी की पूर्ति केवल आयात के द्वारा की जा रही थी। आयात मूल्य में अत्यधिक कमी को ध्यान में रखते हुए, कंपनी को भविष्य में आरएसएमएमएल से खरीद के लिए आयात समता मूल्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए।

(ख) एकल स्त्रोत से पेलेट खरीद के आदेश से ₹ 235 करोड का अतिरिक्त परिहार्य व्यय

बीएसएल गर्म धातु (एचएम) के उत्पादन के लिए धमन भट्टी (बीएफ) में सिंटर एवं लौह अयस्क लम्प (आइओएल) वाले बर्डन[1] का उपयोग करता रहा है। पेलेट[2] का उपयोग धमन भट्टी में सिंटर[3] एवं आइओएल के रुप किया जा सकता था। कंपनी अपने कैप्टिव खान से आइओएल एवं लौह अयस्क चूर्ण (आइओएफ) की आपूर्ति में आत्म निर्भर है साथ ही सिंटर उत्पादन करने वाला एक इन-हाउस संयंत्र भी है। हालांकि कंपनी के पास आइओएफ से पेलेट उत्पादन करने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नही है।

बीएसएल ने एचएम के उत्पादन में वृद्धि का आकलन वर्ष 2009-10 में 42.50 लाख टन से वर्ष 2010-11 के दौरान 47 लाख टन किया गया। इसके आधार पर संयंत्र में वर्ष 2010-11 में सिंटर उपलब्धता में कमी का आकलन किया गया एवं निर्धारित उत्पादन को प्राप्त

---

[1] ***बर्डन- इस्पात सयंत्र के धमन भट्टी में चार्ज किया हुआ लौह अस्यक लम्प, सिंटर एवं पैलेट लोहे का समूह***

[2] ***पैलेट- पैलेट लौह अयस्क चूर्ण का एक समूह है जिसे इस्पात बनाने की प्रकिया के रूप में धमन भट्टी में डाला जाता है***

[3] ***सिंटर- लौह अयस्क चूर्ण, कोक ब्रीज, छोटे आकार का चुना पत्थर एवं डोलोमाइट एवं इस्पात सयंत्रो से प्राप्त अन्य वेस्ट पदार्थ जिसमे कुछ मात्रा में लौह पाया जाता है का एक छोटा समूह है। सिंटर का उत्पादन सिंटर सयंत्र में किया जाता है जिसका उपयोग इस्पात सयंत्रो में कच्चे माल के रूप में होता है।***

करने के लिए वर्ष 2011-13 की अवधि के लिए कुद्रमुख लौह अयस्क कंपनी लिमटेड (केआईओसीएल) से एकल स्त्रोत के आधार पर पेलेटों की आपूर्ति के लिए आदेश दिया गया। इस संबंध में लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि:

(i) बीएसएल उत्पादन (47.5 लाख टन) के परिकल्पित स्तर को सुनिश्चित करने में असफल रहा एवं वर्ष 2011-12 में 40.12 लाख टन एवं वर्ष 2012-13 में 41.26 लाख टन केएचएम उत्पादन को 3,70,627 टन पेलेट के उपयोग के द्वारा प्राप्त किया गया। कम्पनी ने प्रस्तावित मात्रा के 40 प्रतिशत खरीद के बाद पेलेट के लिए ठेके को जल्द समाप्त कर दिया।

(ii) केआईओसीएल पेलेट ₹ 360.68 करोड की लागत पर खरीदे गये, औसत लागत ₹ 8688.52[1] प्रति टन थी जो इन-हाउस में उत्पादित सिंटर की भारित लागत ₹ 3031 प्रति टन एवं बाह्यस्त्रोत वाले सिंटर ₹ 4463 प्रति टन से काफी अधिक थी। केआईओसीएल पेलेट लंबी दूरी के बहुल भाडे एवं पूर्वी भारत में कंपनी के कैप्टिव खान से मेंगलौर में केआईओसीएल संयत्र तक आइओएफ के परिवहन पर चढाई - उतराई पर खर्च के कारण महंगा था। वास्तव में आने - जाने एवं आइओएफ एवं पेलेट के उतराई - चढाई का औसत खर्च ₹ 4571 प्रति टन था जिसके अकेले की लागत सिंटर की लागत से अधिक थी। इस तरह के महंगे पेलेट का उपयोग परिणामी रूप से न्यायोचित नहीं है।

(iii) यह पाया गया कि प्रबंधन द्वारा आसपास के आपूर्तिकर्ताओं से पेलेट अथवा सिंटर की खरीद की संभावना का पता नहीं लगाया जबकि पेलेट आपूर्तिकर्ता एवं परिवर्तक झारखंड, प. बंगाल एवं उडीसा में मौजूद थे।

पेलेटों की खरीद के द्वारा इन - हाउस सिंटर की कीमत की तुलना में कंपनी को ₹ 234.85 करोड[2] का अतिरिक्त खर्च का वहन करना पडा चूँकि एचएम की उत्पादित मात्रा अनुमान से कम रही। जिसे सिंटर एवं आइओएल की उपलब्ध मात्रा से पूरा किया जा सकता था।

प्रबंधन/मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2014/जनवरी 2015) कि पेलेटों की खरीद के द्वारा इन हाउस सिंटर के कीमत की तुलना में कंपनी को ₹ 234.85 करोड का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ा चुंकि एचएम की उत्पादित मात्रा प्रोजेक्शन से कम रही। जिसे सिंटर एवं आइओएल की उपलब्ध मात्रा के जरीए पूरा किया जा सकता था।

---

[1] ***4,15,117 टन पैलेट के लिए ₹ 360.68 करोड़ का भुगतान***

[2] ***[पैलेट का प्रति टन औसत लागत (₹ 8688.52) - वर्ष 2011-13 के दौरान इन हाउस सिंटर का प्रति टन वेटेड औसत लागत ₹ 3031] x 4,15,117 टन पैलेट की खरीद = ₹ 234.85 करोड़***

प्रबंधन/मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2014/जनवरी 2015) कि 47.5 लाख टन के परियोजित एचएम उत्पादन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सिंटर में कमी की परिकल्पना की। जिसे 5 धमन भट्टियों से 48.35 लाख टन उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्राप्त किया जा सकता था। धमन भट्टियों की स्थिति और क्षमता को सुधारने के लिए सिंटर के साथ साथ पेलेटों की क्षमता को 70 प्रतिशत तक बढ़ाने की तकनीकी आवश्यकता थी।

प्रबंधन का जवाब निम्नलिखित कारणों से तर्कसंगत नहीं है:

(i) बर्डन में पेलेट के उपयोग द्वारा धमन भट्टियों की क्षमता में सुधार नहीं होता है। बीएसएल द्वारा परिकल्पित उपयोग किए जाने वाले पेलेट के प्रति टन के लिए ₹ 3400 के अतिरिक्त योगदान का उपयोग नहीं किया गया। वास्तव में पेलेट के उपयोग के दौरन ईधन की खपत उच्च थी एवं बर्डन के प्रति टन एचएन का उत्पादन वर्ष 2010-11 में 0.616 से घटकर वर्ष 2012-13 में 0.603 हो गया।

(ii) वर्ष 2010-12 के दौरान एचएम का अनुमानित उत्पादन अवास्तविक था। आने वाले वर्षों में अनुमान घटकर वर्ष 2012-13 में 44 लाख टन एवं वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में 43.50 लाख टन हो गया। एचएम का वास्तविक उत्पादन 40.66 लाख टन (2009-10) से 42.53 लाख टन (2014-15) था।

(iii) बीएसएल द्वारा आइओएल एवं सिंटर का प्रयोग 33:67 (2008-09) एवं 38:62 (2010-11) के अनुपात में किया जा रहा था जिसमें धमन भट्टी बर्डन में पेलेट नहीं था। तैयार किए गए बर्डन की संरचना को 10-15 प्रतिशत पेलेट को शामिल करने के लिए एवं आइओएल को 20-25 प्रतिशत घटाते हुए परिवर्तित कर दिया गया था। इस प्रकार पेलेट का उपयोग मुख्य रुप से आंतरिक मौजूदा आइओएल को प्रतिस्थापित करने के लिए हुआ भले ही इसकी खरीद के लिए दिए गए औचित्य को सिंटर की कमी के रुप में दर्शाया गया है।

(iv) निदेशक (वित), सेल ने पाया (अगस्त 2012) कि पेलेटों के उपयोग से परिकल्पित योगदान प्राप्त नहीं हो सकता है एवं पेलेट के नियमित रुप में उपयोग के प्रति सचेत किया। लेकिन वीएसएल प्रबंधन द्वारा नवम्बर 2012 तक केआइओसीएल पेलेटों की खरीद जारी रखी गई जब इसने शुरू में नियोजित 10 लाख टन के प्रति 4,15,117 टन पेलेट की खरीद के बाद केआइओसीएल के साथ की गई व्यवस्था को शीघ्र समाप्त कर दिया।

प्रारंभ में बनाए गए 10 लाख टन की योजना के विरूद्ध 4,15,117 टन पलैट की अधिप्राप्ति के बाद बी.एस.एल ने नए वर्ष 2013-14 मे आई.ओ.एल.एवं सिंटर वाले वर्डन के उपयोग को वापस हटा लिया।

(ग) आरएसपी एवं बीएसएल में पैलेट के अतिरिक्त क्रय के कारण ₹ 25.14 करोड का अतिरिक्त व्यय

नवम्बर 2012 तक, बीएसएल को इस बात की जानकारी थी कि वांछित लाभ पैलेट के उपयोग से नहीं हो रहा था एक और इस्पात संयंत्र बीएसपी ने भी केआईओसीएल से प्रायोगिक तौर पर पैलेट क्रय (दिसंबर 2012) किया और निष्कर्ष (मार्च 2013) निकाला कि पैलेट के उपयोग से एचएम उत्पादन की लागत बढ़ी और प्रायोगिक तौर पर पैलेट के 52 दिन के परिक्षण के फलस्वरुप ₹ 16 करोड की हानि हुई।

इसके बाबजूद, बीएसएल ने पुन: 28929 टन पैलेट खरीदा (दिसम्बर 2014 - फरवरी 2015)। जनवरी 2015 में टेकनो- इकोनोमिकल गैर- व्यवहारिता का हवाला देते हुए निर्णय लिया गया कि पैलेट के उपयोग अब नहीं किया जाएगा। आरएसपी ने भी 43347 टन पैलेट खरीदा और रुक - रुक कर मात्र 35272 टन का उपयोग किया। प्लांट के पास मौजूद आईओएल या सिंटर के एवज में महंगे पैलेट के उपयोग के कारण कंपनी ने ₹ 25.14 करोड (2013-15) का अतिरिक्त व्यय किया।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2016) कि खनन के निलंबन पर कोर्ट के निर्णय के कारण बीएसएल में आईओएल की कमी थी और नवम्बर 2014 से जनवरी 2015 तक सिंटर के उत्पादन में कमी थी फलस्वरुप पैलेट खरीदना पडा।

प्रबंधन के जवाब मान्य नहीं हैं क्योंकि कोर्ट का निर्णय मई 2014 में आया, जबकि पैलेट के क्रय का प्रस्ताव अप्रैल 2014 में प्रस्तुत किया गया था इसके अतिरिक्त, बीएसएल ने वर्ष 2014-15 में पिछले चार सालों से अधिक सिंटर का उत्पादन किया और गत वर्ष (2013-14) की तुलना में 3.98 लाख टन अधिक उत्पादन किया।

(घ) डोलोमाइट के लिए एकल स्त्रोत पर निर्भरता के कारण ₹ 88.04 करोड का अधिक खर्च

आरएसपी ने मुख्य रुप से (जनवरी 2008) धमन भट्टी (बीएफ) योग्य डोलोमाइट के लिए मैसर्स बिसरा स्टोन लाइम कम्पनी लिमिटेड (बीएसएलसी) से वार्षिक तय कीमत पर एकल स्रोत के आधार पर 10 वर्षों का एमओयू किया। एमओयू के अनुसार, सेल और बीएसएलसी

के बीच पारस्परिक रूप से कीमत तय की जानी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि धमन भट्टी योग्य डोलोमाइट का दूसरा आपूर्तिकर्ता था लेकिन आरएसपी ने खुली निविदा आमंत्रित नहीं कर बीएसएलसी द्वारा मॉगी गई वार्षिक कीमत बढ़ाने का उचित आकलन या कीमत का पता नहीं किया गया। डोलोमाइट लम्प का बीएसएलसी से तय आधार मूल्य फरवरी 2008 में ₹ 355 प्रति टन था जो कि वर्ष 2011-12 में बढकर ₹ 520 प्रति टन तथा वर्ष 2015-16 में ₹ 659 प्रति टन हो गया।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि बीएफ योग्य डोलोमाइट की वार्षिक आवश्यकता 10.50 लाख टन (वर्ष 2008-09) से 15.70 लाख टन (वर्ष 2017-18) थी जबकि बीएसएलसी का डोलोमाइट उत्पादन 6 लाख टन (वर्ष 2004-05) से 8.30 लाख टन (वर्ष 2007-08) के बीच था। जबकि आरएसपी ने बीएसएलसी के साथ दीर्घकालिक समझौता करते समय उसके डोलोमाइट उत्पादन क्षमता का जिक्र नहीं किया। परिणामस्वरुप सेल प्लांट को बीएफ ग्रेड के स्थान पर 35 से 78% महंगी ग्रेड डोलोमाइट लम्प का उपयोग करना पडा, चूँकि बीएसएलसी आदेशित मात्रा की आपूर्ति करने में असमर्थ रहा। केवल वर्ष 2012-16 के दौरान बीएसएल, आरएसपी और डीएसपी ने एक साथ बीएफ ग्रेड डोलोमाइट के स्थान पर 12.62 लाख टन महंगी ग्रेड डोलोमाइट का उपयोग किया जिसके कारण ₹ 88.04 करोड का अधिक खर्च हुआ।

प्रबंधन ने बताया (नवम्बर 2016) कि बीएसएलसी के साथ हुए दीर्घकालिक समझौता कच्चे माल की सुरक्षा के लिए एक निर्णायक मेल/समबद्धता थी। एसएमएस[1] ग्रेड डोलोमाइट जिसकी प्रतिस्पर्धात्मिक बोली के द्वारा खरीद की जाती है के मूल्य के आधार पर बाजार के रुझान के साथ वार्षिक मूल्य निर्धारित करने के निर्णय में उचित प्रयास किये गये। आगे प्रबंधन ने जवाब दिया कि एमओयू के अनुसार यदि बीएसएलसी निर्धारित वार्षिक मात्रा की आपूर्ति करने में असफल होता है तो पिछले बकाया सामग्री की बिना मूल्य परिवर्तन के अगली तिमाही में आपूर्ति की जानी चाहिए।

प्रबंधन का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि एसएलएस ग्रेड डोलोमाइट के मूल्य को बीएफ ग्रेड डोलोमाइट के मूल्य का मानक नहीं हो सकता है एवं उचित कीमत का निर्धारण केवल खुली निविदा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जबकि ऐसा नहीं किया गया। एकल स्त्रोत के साथ नियमित रुप से उपयोग की गई सामग्री को जोड़ने के कारण कंपनी को ₹ 88.04 करोड का अतिरक्त व्यय करना पडा जिसकी वजह उच्चतम कोटि के डोलोमाइट का प्रयोग भी था।

---

[1] ***स्टील मेल्टिंग शॉप***

(II) सीमित (एलटीई), वैश्विक (जीटीई) एवं खुली निविदा पूछताछ (ओटीई) मे कमी

कंपनी एमएमडी द्वारा पंजीकृत विक्रेता से सीमित निविदा पूछताछ (एलटीई) करती है। सेल द्वारा नवीनतम आवश्यकताओं के साथ अपने विक्रेता डाटाबेस को अद्यतित एवं एकत्र करने हेतु संभाव्य विक्रेताओं की अधिक संख्या का पता लगाने के लिए समय - समय पर राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन नहीं दिया गया। जबकि विक्रेता डाटावेस पंजीकरण एक स्वैच्छिक गतिविधि है जिसमें संभावित विक्रेता एमएमडी के पास पंजीकरण हेतु जाते है। बीएसएल, डीएसपी, आरएसपी एवं आइएसपी में कुल सामग्री समूहों के क्रमश: 26, 22, 37 एवं 25 प्रतिशत के लिए केवल एक या दो पंजीकृत विक्रेता थे। इसके अतिरिक्त इन तथ्यों के बावजूद कि इस्पात संयत्रों में उत्पादन स्ट्रीम के लिए एक समान उत्पादन प्रक्रिया, आवश्यक कच्चा माल और भंडारण एवं स्पयेर्स की आवश्यकता होती है, प्रत्येक संयंत्र में एक विक्रेता डाटावेस है जो अन्य संयंत्रों के साथ सिक्रोनाइजड नहीं था। इस संबंध में लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित नोटिस किया गया:

(क) संयंत्रो द्वारा निरंतर खरीद किए गए एक्सटेंशन रॉड के लिए प्रमाणित लघु उद्योग (एसएसआई) विक्रेता थे। हालांकि आरएसपी ने उनमें से कुछ का सीमित निविदा पूछताछ के आधार पर चयन किया जिससे प्रतिस्पर्धा में रुकावट हुई। सितम्बर 2013 में आरएसपी ने एलटीई के आधार पर ₹ 2065 की दर से 6075 एक्सटेंशन रॉड खरीदी जहां पांच प्रमाणित विक्रेताओं से नीलामी की बोली हेतु मांग की गई। तीन महीने बाद आरएसपी ने सात प्रमाणित विक्रेताओं (उपरोक्त वर्णित पांच विक्रेताओं को छोडकर) को पृथक एलटीई जारी किया। जिसमें प्राप्त न्यूनतम कीमत ₹ 1350.68 प्रति इकाई थी जो 65% कम थी।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2016) कि वैकल्पिक स्त्रोत के लिए सात विक्रेताओं को एलटीई जारी किया गया था और अस्थाई मूल्य की प्रमाणित मूल्य के साथ तुलना नहीं की जा सकती है।

जबाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आरएसपी ने एक्सटेंशन रॉड के लिए वर्ष 2013 में दोनों विक्रेताओं के सेट को प्रमाणित पंजीकृत विक्रेता के रुप में वर्गीकृत किया है एवं उन्हें टेक्नो कॉमर्शियल के रूप में उचित विक्रेता अनुमोदित किया गया है।

(ख) आरएसपी ने 10000 टन लैम/हार्ड कोक की खरीद के लिए खुली निविदा में चार प्रस्ताव प्राप्त किये। उक्त चारों विक्रेताओं को तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) एवं वाणिज्यिक मूल्यांकन समिति (सीईसी) द्वारा टेक्नों - कॉमर्शियल रुप में उपयुक्त पाया गया। कार्यकारी निदेशक (एमएमडी) की अध्यक्षता वाली निविदा समिती (टीसी) ने टीईसी

एवं सीईसी द्वारा दिए गए मूल्यांकन को स्वीकार किया एवं यह सिफारिश (फरवरी 2012) की कि वित्त एवं लेखा विभाग की सहमति से एल1 विक्रेता की पहचान करने के लिए रिवर्स नीलामी की जाये। एक सप्ताह के अंदर निविदा समिति ने अपनी सिफारिश को संशोधित किया (3 मार्च 2012) एवं सभी चारों विक्रेताओं को तकनीकी तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया एवं सामग्री की अति आवश्यकता होने के बावजूद पुन: निविदा के आदेश दिए गए। पुन: की गई निविदा में पहली निविदा के केवल एक विक्रेता ने भाग लिया एवं टीसी द्वारा उक्त विक्रेता को टेक्नों-कॉमर्शियली उपयुक्त घोषित किया गया। 9157.494 टन सामग्री का आदेश (मई 2012) तय किए गए मूल्य ₹ 22,225 प्रतिटन पर ₹ 2.82 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया। ₹ 19,149 प्रतिटन के मूल मूल्य पर उसी समय (मार्च 2012 में) समान सामग्री की खरीद पर बीएसपी द्वारा भुगतान किये गये मूल्य की तुलना करने पर आरएसपी ने खरीद पर ₹ 2.82 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

प्रबंधन ने जवाब दिया है (नवम्बर 2016) कि निविदाओं की समीक्षा के बाद, टीसी ने पाया कि सभी प्रस्ताव तकनीकि रुप से अपर्याप्त थें इसलिए निविदा समाप्त करने का प्रस्ताव दिया।

प्रबंधन का जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मैसर्स वीआइएसए स्टील लिमिटेड जिसे आरएसपी ने पुन: निविदा के दौरान ठेका दिया गया था, के साथ सभी चारों विक्रेताओं ने या तो पूर्व में आपूर्ति की थी या लैम कोक की आपूर्ति के लिए कम्पनी के अन्य संयत्रों के पृथक निविदा को टेक्नों-कॉमर्शियली उपयुक्त पाए गए।

(ग) लो सिलिका डोलोमाइट एवं डोलोमाइट चिप्स की भूटान से वैश्विक/खुली निविदा के द्वारा नियमित रुप से खरीद की गई थी। जबकि लो सिलिका डोलोमाइट को रेलवे द्वारा संयत्रों तक पहुँचाया जाता है एवं डोलोमाइट चिप्स को ट्रक द्वारा रोड से भेजा जाता है। पिछले चार वर्षों (2011-15) के दौरान औसत रेल भाडा ₹ 1033 प्रति टन था जबकि औसत सडक भाडा ₹ 1454 प्रति टन था रोड भाडा ₹421 प्रति टन महंगा था। इस प्रकार बीएसएल द्वारा डोलोमाइट चिप्स के परिवहन हेतु सडक परिवहन का चुनाव करने से इस दौरान ₹ 9.57 करोड का अतिरिक्त व्यय किया गया।

लोजिस्टिक बाधाओं का हवाला देते हुए प्रबंधन ने (नवम्बर 2016) इन्वेंटरी के संचय के जोखिम की ओर इशारा किया चूँकि आदेश दी गई आपूर्ति पूर्ण रेल रैक मात्रा से कम हो सकती थी। यह भी बताया गया कि रेलवे द्वारा ढुलाई किये गए लो सिलिका डोलोमाइट के आयातित माल की लागत एक्सबीएसएल के पूर्व डोलोमाइट चिप्स के आयातित माल की लागत से मंहगी थी।

प्रबंधन का जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बीएसएल ने सडक और रेलवे भाडे का लागत लाभ विश्लेषण नहीं किया था। रेल द्वारा डोलोमाइट चिप्स के प्रबंधन की कोई सुविधा नहीं थी। डोलोमाइट चिप्स एवं लो सिलिका डोलोमाइट की मूल कीमत क्रमश: ₹ 650 एवं ₹ 995 प्रति टन थी इसलिए आयातित माल की लागत एक्स-बीएसएल भाडा किराये के उद्देश्य के लिए तुलना योग्य नही है। बीएसएल नियमित आधार पर डोलोमाइट चिप्स के लगभग 34000 टन का इस्तेमाल करता है इसलिए लोजिस्टिक बाधाओं का पता लगाने के लिए एक प्रभावी मामला है।

(घ) बीएसपी सभी संयत्रों के लिए खुली निविदा द्वारा फेरो एलॉय खरीदता है जहां मूल्य निर्धारण एलसीएनसी के आधार पर किया जाता है। भाग लेने वाले विक्रेता एलसीएनसी के सभी तत्वों जैसे मूल लागत, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर एवं भाडे इत्यादि का अलग-अलग मूल्य प्रस्तुत करते है। अलग-अलग संयत्रों के लिए एलसीएनसी मूल्य भाडा अंतर (सामग्री के स्रोत और गंतव्य पर निर्भर) प्रवेश कर, बिक्री कर इत्यादि के आधार पर भिन्न हो सकता है। हालांकि उत्पादन की मूल कीमत (आपूर्ति की एक्स-ओरिजिन) किसी विक्रेता के लिए सभी इस्पात संयत्रों के संदर्भ में एक समान होनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने मूल्यनिर्धारण प्रक्रिया में निम्नलिखित कमियां देखी:

- सभी इस्पात संयत्रों में एक ही खरीद चक्र के लिए एक ही निविदा के संदर्भ में एल-1 विक्रेता के लिए प्रति टन मूल कीमत भिन्न थी जिसका अंतर ₹ 307 से 3,833 प्रति टन था।

- प्रति टन ढुलाई दर को आपूर्ति किए जाने वाले माल के स्त्रोत एवं गंतव्य के बीच की दूरी को ध्यान में रखे बिना तय किया गया था। मैसर्स मैथन ने 52 कि.मी., 772 कि.मी एवं 975 कि.मी के लिए एक ही भाडा ₹ 1500 प्रति टन कोट किया, उसी विक्रेता ने 386 कि.मी. के लिए ₹ 3000 प्रति टन एवं ₹ 1200 प्रति टन कोट किया। मैसर्स नीलकंठ फेरो ने 107 किमी. के लिए भाडा ₹ 700 प्रति टन बताया लेकिन 109 कि.मी. के लिए केवल ₹ 345 प्रति टन कोट किया।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2016) कि फेरो एलॉय को खुली निविदा के प्रति एलसीएनसी के आधार पर खरीदा गया एवं यह भी कहा कि हमारे देश में सडक द्वारा माल ले जाने हेतु कोई मानक पैरामीटर अथवा मूल्य सूचकांक नहीं है।

प्रबंधन के जवाब को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखना चाहिए कि ये उच्च खरीद थी एवं मार्च 2015 को समाप्त हुए 3 वर्षों के दौरान बीएसपी ने फेरो एलाय के लिए

₹ 2438.61 करोड मूल्य का ठेका दिया। इन कमियों को एल-1 दर की उचित गणना के लिए विक्रेताओं को बीएसपी द्वारा उजागर किया जाना चाहिये।

(ड.) खरीद प्रक्रियाओं में बेहतर पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार रोकने के लिए भारत सरकार ने सीपीएसई को निविदा पूछताछ, उस पर शुद्धिपत्र एवं ई - प्रकाशन मोड्यूल का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सरकारी खरीद पोर्टल पर ठेका देने का विवरण प्रकाशित करने के आदेश जारी किये (30 नवम्बर 2011)। कंपनी ने इसे कार्यान्वित नहीं किया।

प्रबंधन ने बताया (नवम्बर 2016) कि निविदा संबंधी पूछताछ कंपनी की बेवसाइट पर प्रकाशित की जाती है। हालांकि, अनुदेश में सीपीपी पोर्टल पर निविदा पूछताछ को प्रकाशित किए जाने को आवश्यक बताया गया तब भी जब इसे कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया हो।

(III) सामग्री के अतिरिक्त स्त्रोंतो के विकास हेतु कोई उचित प्रयास नहीं किया गया

(क) सेल द्वारा वर्ष 2012-15 के दौरान एकल स्त्रोत के आधार पर ₹ 114.56 करोड मूल्य का स्लैब कास्टर टूनडिश रिफ्रैक्टरी खरीदा गया एवं विक्रेता द्वारा मांगे गए बढे हुए दाम का भुगतान किया गया।

(ख) सभी इस्पात संयत्रों ने अन्य विक्रेताओं की उपस्थिति एवं उनके संतोषजनक सामग्री प्रदर्शन के बावजूद व्यक्तिगत तौर पर एकल स्त्रोत से ₹ 36.81 करोड की सेरामिक वेल्डिंग सामग्री खरीदी।

(**ग**) उचित संख्या में विक्रेता मौजूद होने के बावजूद बीएसएल ने इलेक्ट्रोड जो कि एक गैर पेटेट सामग्री है को एसटीई के आधार पर ₹ 5.84 करोड में खरीदा (2012-15)।

(घ) बीएसपी ने मैसर्स सिम्प्लेक्स से मालिकाना आधार पर कोक ओवन बैट्री 3, 4 एवं 8 के लिए ₹ 12.56 करोड के मूल्य का जीरो लीक डोर (जेडएलडी) की खरीद की। कोक ओवन बैट्री 5 एवं 6 के लिए मैसर्स बीइसी से मालिकाना आधार पर जेडएलडी की खरीद की। आवश्यकता को मानकीकृत करने हेतु प्रयास किए बिना इसे 10 वर्षों तक जारी रखा गया।

(ड.) आइएसपी द्वारा स्वाधिकृत आधार पर ₹ 31.49 करोड मूल्य की सामग्री 217 पीओ के लिए जारी (2011-15) की गई जिसमें यह बताया गया कि अक्टूबर 2013 में संस्थापित नए कोक ओवन बैट्री 11 का नक्शा उपलब्ध नहीं है। आइएसपी एवं ओइएम के बीच

संविदात्मक शर्त के खंड 2.4 की परिकल्पना के अनुसार ठेकेदार द्वारा नक्शे को प्रस्तुत किया जाना था जिसकी कमी के कारण स्वाधिकृत खरीद की गई।

प्रबंधन ने बताया (नवम्बर 2016) कि विक्रेताओं के डेटाबेस की नियमित रुप से समीक्षा की गई और नए स्त्रोतों को विकसित करने के लिए परीक्षण के आदेश जारी किए गए। प्रबंधन ने यह भी कहा कि एसटीई/प्रोपराइटरी रूट से सामग्री खरीदना एक तकनीकी आवश्यकता थी।

उक्त जवाब को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये देखना चाहिए कि प्रोपराइटरी खरीद के शेयर को कम करने के लिए वार्षिक एवं दीर्घकालिक कार्ययोजना एवं लक्ष्य नहीं थी। वास्तव में, एकल/मालिकाना स्त्रोंतों द्वारा की गई खरीद खुली निविदा के द्वारा पर्याप्त विक्रेताओं की उपस्थिति को निर्धारित किए बिना की गई।

15.9.2.2 आंतरिक उत्पादन सुविधाओं का पूरा उपयोग नहीं किया गया

कंपनी ने आंतरिक क्षमता को विकसित नहीं किया जैसा कि निम्नलिखित मामलों में देखा गया:

(I) सिलिका ईंट की खरीद

सिलिका ईट का उपयोग कोक ओवन बैट्री के पुन: निर्माण/मरम्म्त एवं धमन भट्टी के स्टोव की मरम्मत के लिए किया जाता है। सेल रिफैक्ट्री इकाई (एसआरयू) के पास सिलिका ईंट उत्पादन के लिए सीमित क्षमता (लगभग 4000 टन) है एवं कंपनी द्वारा शेष आवश्यकता की पूर्ति बाहर से की जा रही है। लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि हालांकि कंपनी की अपने कच्चे इस्पात क्षमता को दोगुना करने की विस्तार योजना वर्ष 2006 में आरंभ हुई, इसने एसआरयू के अनुरुप विस्तार एवं आधुनिकीकरण पर विचार नही किया एवं एकल स्त्रोत के आधार पर निजी विक्रेताओं से खरीद जारी रखी। सेल के किस क्षेत्रों में उपयुक्त उत्पादन क्षमता नहीं है इसे पहचानने के लिए सेल द्वारा गठित समिति ने यह सुझाव दिया कि एसआरयू क्षमता की वृद्धि कंपनी की नियमित आवश्यकता की पूर्ति हेतु करनी चाहिए परंतु उक्त सुझाव पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अकेले बीएसएल स्त्रोत के आधार पर वर्ष 2011-14 में ₹ 87 करोड मूल्य की 24.567 टन सिलिका ईंट की खरीद की गयी जो आंतरिक उत्पादन की तुलना में मंहगी थी। वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में एसआरयू में सिलिका ईट की प्रति टन परिवर्ती लागत बीएसएल की खरीद लागत के प्रति वर्ष 2011-13, 2013-14 एवं 2014-15 में ₹ 23,442, ₹ 28,265 एवं ₹ 22,597 थी। जो इस अवधि के दौरान ₹ 33,700 प्रति टन से ₹ 37,710 प्रति टन के बीच थी।

प्रबंधन ने बताया (नवम्बर 2016) कि उस समय से एसआरयू के उन्न्यन एवं आधुनिकीकरण के लिए कार्रवाई शुरु की जा चुकी है।

(II) ट्रफ एवं रनर कास्टेबल की खरीद

चूंकि मशीनीकरण की कमी के कारण एसआरयू उत्पादन में अत्यधिक समय ले रहा था अत: बीएसएल ने ट्रफ एवं रनर कास्टेबल खरीदने का निर्णय (2012) लिया। चूँकि कम समय में मशीनीकरण संभव नहीं था इसलिए इसे खरीदने का निर्णय लिया गया। लेखापरीक्षा के दौरन पाया गया कि बीएसएल ने ₹ 26.43 करोड के कास्टेबल के आर्डर के लिए दो वर्षों से अधिक का समय लिया। दो वर्षों का समय अंतराल एसआरयू के लिए वांछित मशीनीकरण को पूरा करने के लिए पर्याप्त था।

प्रबंधन में अपने जवाब (नवम्बर 2016) में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया है।

15.9.2.3 अनुबंध पश्चात प्रबंधन

(I) सामग्री की इन-हाउस जांच के बिना उच्च मूल्य वाले फेरो नियोबियम की खरीद

वर्ष 2012-15 के दौरान वैश्विक निविदा के माध्यम से सेल ने ₹ 336.89 करोड का फेरो नियोबियम की खरीद की। आदेश दी गई सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा के लिए बीएसपी द्वारा सामग्री को प्री-शिपमेंट थर्ड पार्टी निरीक्षण प्रमाण के आधार पर स्वीकार किया गया। हालांकि बीएसपी को प्री-शिपिंग जांच के परिणाम को क्रॉस चेक करने के लिए सामग्री की जांच का अधिकार था इसने अपनी ओर से सामग्री की जांच नहीं की। इतने उच्च मूल्य वाली खरीद की बिना यह जांच किये कि क्या सामग्री वांछित तकनीकी पैरामीटर पर खरी उतरती है अथवा नहीं, अविवेक पूर्ण कार्य था।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2016) कि नमूने के लिए मानक प्रक्रिया को मान्यता प्राप्त थर्ड पार्टी द्वारा अथवा सिंटर संयत्र में मौजूद जांच सुविधा को शामिल करने के लिये संशोधित किया जा रहा था।

(II) ढुलाई में अनियमित वृद्धि

बीएसपी ने एकल स्त्रोत आधार पर अलमोरा मैग्नेसाइट लिमिटेड (एएमएल) के साथ एमओयू किया एवं दिसम्बर 2011 से मार्च 2013 के दौरान 8078.58 टन मैग्नेसाइट की खरीद की। आपूर्तिकर्ता ने यह कहते हुए कि ढुलाई दरों को संशोधित कर इसमें वृद्धि की जाए, ट्रकों की ओवर लोडिंग को प्रतिबंधित कर दिया गया है जिसके फलस्वरुप पहले जो ट्रक 35

टन तक माल ढोते थे वह घटकर 15 टन हो गया है। बीएसपी ने दिसम्बर 2011 से ₹ 706.78 प्रति टन लागत बढ़ा दी, इस तथ्य के बावजूद भी कि केवल डीजल की दर में वृद्धि/कमी होने के अलावा एमओयू में मालभाडा प्रभार में कोई भी परिवर्तन करना वर्जित है। इस प्रकार बीएसपी द्वारा विक्रेताओं को दिसंबर 2011 से मार्च 2015 के दौरान 17,263 टन डेड जले हुये मेग्नेसइट की खरीद पर ₹ 1.22 करोड का अनुचित लाभ दिया गया।

प्रबंधन ने बताया कि (मार्च/नवम्बर 2016) कि एएमएल आपूर्ति के लिए एकमात्र साधन था एवं एएमएल ने ₹ 3400 प्रति टन की दर से ढुलाई के वास्तविक भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत किया जिसके प्रति ₹ 2801 प्रति टन ढुलाई वृद्धि अनुमोदित की गई।

प्रबंधन का जवाब तर्कसंगत नहीं है चूँकि वर्ष 2011 में अनुमोदित ढुलाई में हुई वृद्धि एक स्थायी सुविधा बन गया जिसका आगे तीन वर्षों के लिए हस्ताक्षरित एमओयू पर भी असर पड़ा बावजूद इसके कि औसत लोड प्रति ट्रक/पुन: टन 29-34 हो गया।

15.9.2.4 अस्थाई एवं अतिरिक्त भंडारण का निपटान नहीं होना

सेल के पास ₹ 193.80 करोड मूल्य के स्थाई भंडारण एवं स्पेयर्स थे जो दिनांक 31 मार्च 2016 को पांच वर्षों से पडा था। इसमें ₹ 34.60 करोड मूल्य की सामग्री शामिल है जिसे संयत्र द्वारा निपटारे एवं/ अथवा अन्य संयत्रों में उपयोग हेतु अतिरिक्त घोषित किया गया है। इस संबंध में निम्नमखित विसंगतियों पायी गई है:

क) बीएसएल द्वारा आवश्यक अथवा वार्षिक आवश्यकता के रुप में ₹ 3.17 करोड मूल्य के आठ विभिन्न प्रकार की सामग्री की खरीद (अक्टूबर 2011 से मार्च 2014) की गई लेकिन इसका उपयोग नहीं किया गया (नवम्बर 2016)। बीएसपी द्वारा ₹ 14.59 करोड की सात सामग्रियों की खरीद (फरवरी 2010 से अप्रैल 2012) की गई परन्तु इसका उपयोग नहीं किया गया (नवम्बर 2016)। इनमें उच्च मूल्य वाली सामग्री जैसे वर्ष 2010 में एकल निविदा के माध्यम से खरीदे गए ₹ 8.35 करोड के टर्बाइन सेंटर असेम्बली एवं वर्ष 2010 में एसटीई (स्वामित्व) के जरिए खरीदे गए ₹ 3.98 करोड के ब्लेड रोटर शामिल थे। इस प्रकार तत्काल आधार पर इन सामग्रियों की खरीद न्यायोचित नहीं है।

ख) पुराने आइएसपी संयत्र की विभिन्न इकाईयों को प्रस्तावित रूप से बंद करने को ध्यान में रखते हुए एक समिति ने वर्ष 2011-12 तक आर्डर किये गए भंडारण एवं स्पेयर्स के लिए पीओ को रद्द करने का प्रस्ताव दिया (फरवरी 2012)। हालांकि आइएसपी द्वारा वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 के दौरान अप्रैल 2014 में औपचारिक रूप से बंद हुई

अपनी इकाईयों के लिए ₹ 4.64 करोड मूल्य की सामग्री का आर्डर देना जारी रखा। इन सामग्रियों का उपयोग दिसम्बर 2015 तक नहीं किया गया।

प्रबंधन ने बताया कि (मार्च 2016) कि उन्होने मालसूची को कम करने के लिए कदम उठाए हैं।

हालांकि लेखापरीक्षा के दौरन यह पाया गया कि ₹ 193.80 करोड के स्थाई भंडारण एवं स्पेयर्स 31 मार्च 2016 तक भंडारण एवं स्पेयर्स की कुल मालसूची का 7.6 प्रतिशत था। इसके अलावा अधिकतम पांच महीने तक भंडारण एवं स्पेयर्स की होल्डिंग अवधि को प्रतिबंधित करने की कंपनी की नीति के प्रति वर्ष 2012-15 के दौरान वास्तविक होल्डिंग अवधि 13 से 14 महीने थी।

15.9.2.5 एम. जंक्शन के ऑनलाइन पोर्टल पर रिवर्स नीलामी करने में कमी

सेल ने कंपनी के इस्पात संयत्रों के द्वारा खरीदी जाने वाले सामग्री के लिये मूल्य पता लगाने के लिये अपने बोली पोर्टल पर रिवर्स नीलामी (आरए) की। एम. जंक्शन की (आरए) बोली रिपोर्ट द्वारा चार उदाहरण सामने आये (बीएसल में दो, डीएसपी के दो) जिसमें दो बोलीदाताओं ने प्रत्येक मामलें में बोली में भाग लेने हेतु एक ही आइपी पते का उपयोग किया। लेखापरीक्षा के दौरन यह पाया गया कि यह तभी संभव होता जब दोनों बोलीदाता द्वारा एक ही सर्वर का उपयोग किया जाए, जिसकी संभावना नहीं थी। कंपनी को आरए के परिणामों को मान्य करने से पूर्व ऐसे मामलों में जांच करनी चाहिए था। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि बीएसएल के मामले में वही दोनों बोलीदाता द्वारा दो अलग-अलग बोलियों में भाग लिया गया था। इन बोलीदाताओं के पास एक ही उत्पाद पंजीयन संख्या थी, एम. जंक्शन को इन बोलीदाताओं द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों में एक ही व्यक्ति का नाम व हस्ताक्षार था: एवं उक्त बोलीदाताओं की वार्षिक रिपोर्ट से पता चला कि दोनों एक ही प्रबंधन के तहत है। इन दो मामलों के प्रति किए गए ₹ 29.56 करोड की खरीद प्रक्रिया अनुचित प्रतीत होती है।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा के इस कथन को स्वीकार किया एवं इसे भविष्य में कार्रवाई हेतु नोट किया।

15.9.2.6 एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति लागू नहीं की गई

सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति द्वारा यह निर्धारित किया गया कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा एमएसई से अपने वार्षिक खरीद मूल्य का कम से कम 20 प्रतिशत खरीद की जाएगी एवं चार प्रतिशत

अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जन-जाति (एसटी) के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद की जाएगी। कंपनी निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में असफल रही एवं वर्ष 2012-15 के दौरान खरीद मूल्य का 16, 14 एवं 12 प्रतिशत तक एमएसई पर पीओ स्थापित किया। बीएसपी एवं आइएसपी ने एमएसई पर कुल खरीद मूल्य का केवल क्रमश: 9 एवं 8 प्रतिशत पीओ स्थापित कर खराब प्रदर्शन किया। तीन वर्षों के बीत जाने के बाद कंपनी पीपी नीति के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए एससी/एसटी आपूर्तिकर्ताओं का पता लगाना में असमर्थ थी।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2016) कि स्वामित्व वाली सामग्री, पीएसई से प्राप्त सामग्री, आयात को एचएसई पर आर्डर के प्रतिशत की गणना के लिए अलग रखा गया है।

प्रबंधन का जबाव स्वीकार्य नहीं है चूँकि पीपी नीति से अपवर्जन का प्रावधान नहीं है आरएसपी को छोडकर, सेल के चार इस्पात संयंत्र जहां निविदा नहीं की गई थी उन मामलों को छोड़ने के बाद भी 20 प्रतिशत का खरीद लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए। यह भी पाया गया कि बीएसपी, आरएसपी एवं आइएसपी द्वारा वर्ष 2015-16 में भी खरीद लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका। इसके अलावा वर्ष 2012-16 के दौरान एससीएस/टीएमएसई के चार प्रतिशत के मापदंड को भी किसी संयत्र द्वारा पूरा नहीं किया गया।

निष्कर्ष

सेल द्वारा सीमित निविदा के आधार पर खरीद के कुल मूल्य का 24.4 प्रतिशत एवं एकल निविदा के आधार पर 29 प्रतिशत खुले/वैश्विक निविदा का सीमित उपयोग किया गया। सभी इस्पात संयत्रों द्वारा की गई खरीद प्रक्रिया में एकरुपता की कमी थी। एकल निविदा के आधार पर की गई मंहगी खरीद के उदाहरण भी पाए गए। आंतरिक उत्पादन सुविधाओं का पूरी तरह उपयोग एवं उसका विस्तार नहीं किया गया। रिवर्स नीलामी के माध्यम से की गई खरीद की विश्वसनीयता पर संदेह था। कंपनी के पास अपनी निर्धारित नीति की तुलना में भंडारण एवं स्पेयर्स की उच्च होल्डिंग अवधि थी। एमएसई पर भारत सरकार के सार्वजनिक खरीद नीति के कार्यान्वयन के लिए कंपनी द्वारा किए गए प्रयासों को मजबूत करने की आवश्यकता है।

उक्त मामलों को अगस्त 2016 को इस्पात मंत्रालय को प्रतिवेदित किया गया है; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2017)।